निबंधन संख्या पी0टी0-40

सत्यमेव जयते

बिहार गजट

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

27 ज्येष्ठ 1937 (श0)

संख्या 24 पटना, बुधवार, ——————

17 जून 2015 (ई0)

विषय-सूची

	पृष्ठ
भाग-1—नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी और अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं।	---
भाग-1-क—स्वयंसेवक गुल्मों के समादेष्टाओं के आदेश।	---
भाग-1-ख—मैट्रीकुलेशन, आई0ए0, आई0एससी0, बी0ए0, बी0एससी0, एम0ए0, एम0एससी0, लॉ भाग-1 और 2, एम0बी0बी0एस0, बी0एस0ई0, डीप0-इन-एड0, एम0एस0 और मुख्तारी परीक्षाओं के परीक्षा-फल, कार्यक्रम, छात्रवृत्ति प्रदान, आदि।	---
भाग-1-ग—शिक्षा संबंधी सूचनाएं, परीक्षाफल आदि	---
भाग-2—बिहार-राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा निकाले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएं और नियम आदि।	2-7
भाग-3—भारत सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार और उच्च न्यायालय के आदेश, अधिसूचनाएं और नियम, 'भारत गजट' और राज्य गजटों के उद्धरण।	---
भाग-4—बिहार अधिनियम	---
भाग-5—बिहार विधान मंडल में पुर:स्थापित विधेयक, उक्त विधान मंडल में उपस्थापित या उपस्थापित किये जानेवाले प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और उक्त विधान मंडल में पुर:स्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक।	---
भाग-7—संसद के अधिनियम जिनपर राष्ट्रपति की ज्येष्ठ अनुमति मिल चुकी है।	---
भाग-8—भारत की संसद में पुर:स्थापित विधेयक, संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में पुर:स्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक।	---
भाग-9—विज्ञापन	---
भाग-9-क—वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं	---
भाग-9-ख—निविदा सूचनाएं, परिवहन सूचनाएं, न्यायालय सूचनाएं और सर्वसाधारण सूचनाएं इत्यादि।	8-18
पूरक	---
पूरक-क	19-36

भाग-2

बिहार-राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा निकाले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएं और नियम आदि।

नगर विकास एवं आवास विभाग

29 मई 2015

अधिसूचना

सं0 3/SBM-20-01/2015–2599—स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) के लिए जारी मार्गदर्शिका की कंडिका 11.2 में राज्य स्तर पर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में High Powered Committee (HPC) के गठन का प्रावधान किया गया है। यह समिति राज्य स्तर पर स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार होगी। यह समिति योजना तैयार करने, अनुमोदन, अंतर विभागीय समन्वय, संसाधनों की व्यवस्था, अनुश्रवण एवं मूल्यांकन के लिए जिम्मेदार होगी। उक्त के आलोक में High Powered Committee (HPC) का गठन निम्नवत किया जाता है :–

1.	मुख्य सचिव, बिहार	– अध्यक्ष
2.	प्रधान सचिव, नगर विकास एंव आवास विभाग	– सदस्य सचिव
3.	प्रधान सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग	– सदस्य
4.	प्रधान सचिव, शिक्षा विभाग	– सदस्य
5.	प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग	– सदस्य
6.	प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग	– सदस्य
7.	प्रधान सचिव, वित्त विभाग	– सदस्य
8.	प्रधान सचिव, पंचायती राज विभाग	– सदस्य
9.	सचिव, ग्रामीण विकास विभाग	– सदस्य
10.	शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार के प्रतिनिधि	– सदस्य
11.	आई0आई0टी0, पटना एंव एन0आई0टी0 पटना के प्रतिनिधि	– सदस्य
12.	अध्यक्ष द्वारा नामित इस क्षेत्र में कार्य करने वाले दो उत्कृष्ट स्वयंसेवी संस्थाओं के प्रतिनिधि	– सदस्य

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
(ह0)अस्पष्ट, प्रधान सचिव।

जल संसाधन विभाग

कार्यलय आदेश

7 जनवरी 2015

सं० 1/मु०अ०–(अनु०)–16–11/2011–56—श्री श्रवण यादव, पुत्र स्वर्गीय जनेश्वर यादव, कार्यालय परिचारी, बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल मोकामा शिविर, बख्तियारपुर, ग्राम–सिहदा, पोस्ट–बुधौल, थाना–रफीगंज, प्रखण्ड–रफीगंज, जिला–औरंगाबाद को जिलाधिकारी–सह–अध्यक्ष, जिला अनुकम्पा समिति, पटना के पत्रांक–2959 स्था0 दिनांक 14.11.14 क्रमांक–23 द्वारा अनुकम्पा के आधार पर वर्ग–'घ' में नियुक्ति के अनुशंसा के आलोक में वेतन बैंड पी0वी0–1 वेतनमान रू0 5200–20200 ग्रेड

वेतन–1800 में समय–समय पर सरकार द्वारा स्वीकृत भत्ते सहित कार्यालय परिचारी के रिक्त पद पर नियुक्त करते हुए बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल मोकामा शिविर, बख्तियारपुर में पदस्थापित किया जाता है ।

2. इनकी नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है। अगर इसके पूर्व इस संवर्ग में नियुक्त कोई उम्मीदवार संबंधित पदाधिकारी के अधीन है तो इसकी वरीयता उसके बाद होगी।

3. मृत सरकारी सेवक के आश्रित परिवार के सदस्यों का भरण–पोषण का दायित्व श्री श्रवण यादव पर होगा। उत्तरदायित्व का निर्वाह पूरी तत्परता के साथ नहीं करने पर गम्भीर कदाचार माना जायेगा जिसके लिए उनके विरूद्ध नियमानुसार समुचित कार्रवाई की जायेगी। उत्तरदायित्व की अवहेलना की सम्पुष्टि होने पर उनकी परिलब्धियों का एक अंश मृत सरकारी सेवक के आश्रित सदस्यों को देने का आदेश सरकार दे सकती है। कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के ज्ञाप संख्या 13293 दिनांक 5.10.1991 के तहत नियुक्त कर्मचारी से एतत् संबंधी तथा तिलक दहेज नहीं लेने–देने का घोषणा पत्र समर्पित करना होगा।

4. अगर उम्मीदवार की नियुक्ति आरक्षित कोटि के रोस्टर विन्दु पर हुई हो तो उक्त आरक्षित कोटा के पद को अग्रणित कर दिया जायेगा ।

5. नियुक्त पद पर योगदान करते समय श्री श्रवण यादव की शैक्षणिक योग्यता से संबंधित प्रमाण–पत्र, असैनिक शल्य चिकित्सक का स्वास्थ्य प्रमाण–पत्र , जन्म तिथि से संबंधित मूल प्रमाण–पत्र , प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, जिसकी जॉच एवं समीक्षा कर लेने के पश्चात ही योगदान स्वीकार किया जायेगा।

6. नियुक्ति पत्र की सम्पुष्टि मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन विभाग, पटना से कराने के पश्चात ही वेतनादि का भुगतान किया जायेगा।

7. योगदान करने हेतु किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा ।

8. किसी तरह की गलत सूचना तथा धोखाधड़ी के आधार पर नियुक्ति पत्र प्राप्त कर लेने पर सेवा से विमुक्त किया जा सकता है तथा नियमानुसार अन्य समुचित कार्रवाई की जायेगी।

9. इन्हें विभाग द्वारा आयोजित होने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रम में निश्चित रूप से भाग लेना होगा । इन्हें इसके लिए यात्रा भत्ता देय नहीं होगा ।

आदेश से,
हरिनारायण, मुख्य अभियन्ता ।

कला संस्कृति एवं युवा विभाग

अधिसूचना

4 जून 2015

सं0 2/फ.1–01/2014–421—बिहार राज्य फिल्म विकास एवं वित्त निगम लिमिटेड के Memorandum & Articles of Association की धारा– 89 के तहत निगम के निदेशक मंडल में निम्नांकित सदस्यों को निदेशक के रुप में अधिसूचित किया जाता है :–

(i) विकास आयुक्त, बिहार	–	निदेशक–अध्यक्ष
(ii) प्रधान सचिव/सचिव, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, बिहार	–	निदेशक
(iii) प्रधान सचिव/सचिव, वित्त विभाग, बिहार	–	निदेशक
(iv) प्रधान सचिव/सचिव, उद्योग विभाग, बिहार	–	निदेशक
(v) प्रधान सचिव/सचिव, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, बिहार	–	निदेशक
(vi) प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य फिल्म विकास एवं वित्त निगम लि0	–	निदेशक
(vii) राज्य सरकार के द्वारा मनोनीत फिल्म क्षेत्र के विशेषज्ञ/जानकार व्यक्ति	–	निदेशक

2. उक्त प्रस्ताव पर माननीय मुख्यमंत्री, बिहार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
सुबोध कुमार चौधरी, संयुक्त सचिव।

खान एवं भूतत्व विभाग

अधिसूचना

25 मई 2015

सं0 01/बी0एम0डी0–180–17/99–1779/एम0,—बिहार राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड के निदेशक पर्षद को तत्कालिक प्रभाव से हगले आदेश तक के लिए निम्नांकित रूप से गठित किया जाता है।

1.	श्री सुभाष शर्मा, प्रधान सचिव, खान एवं भूतत्व विभाग, बिहार, पटना।	अध्यक्ष
2.	श्री सुभाष शर्मा, प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य खनिज विकास निगम लि0, बिहार, पटना।	सरकारी सदस्य
3.	श्री शैलेश ठाकुर, डद्योग निदेशक, बिहार, पटना।	सरकारी सदस्य
4.	श्री एच0आर0 श्रीनिवास, सचिव (संसाधन), वित्त विभाग, बिहार, पटना।	सरकारी सदस्य
5.	श्री बी0ए0 खान,प्रधान मुख्य वन संरक्षक, पर्यावरण एवं वन विभाग, बिहार, पटना।	सरकारी सदस्य

2. एतद संबंधी पूर्व निर्गत अधिसूचनाएँ विलोपित की जाती है।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
मो0 हसनैन खॉ,संयुक्त सचिव।

ग्रामीण कार्य विभाग

अधिसूचनाएं

11 दिसम्बर 2014

सं० 11/अ0प्र0–01–12/2014–14486—कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, बगहा–1 के पत्रांक–1015 अनु0 दिनांक 22.10.2014 से उपलब्ध दायित्व रहित अनापत्ति प्रमाण पत्र के आधार पर निम्न वर्णित पथ की स्थिति समीक्षोपरांत पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को हस्तानांतरण करने की अनुशंसा की जाती है:–

क्रमांक	कार्य प्रमंडल/जिला	पथ का नाम	पथ की लम्बाई (कि0मी0)
1	बगहा–1/बेतिया	रतवल से रजवटिया होते हुए चखनी एन0एच0–28बी0 तक पथ।	13.00कि0मी0

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
शम्भू चौधरी, उप–सचिव।

11 दिसम्बर 2014

सं० 11/अ0प्र0–03–08/2012–11488—कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, लखीसराय के पत्रांक–1184 अनु0 दिनांक 23.08.2014 से उपलब्ध दायित्व रहित अनापत्ति प्रमाण पत्र के आधार पर निम्न वर्णित पथ की स्थिति समीक्षोपरांत पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को हस्तानांतरण करने की अनुशंसा की जाती है:–

क्रमांक	कार्य प्रमंडल/जिला	पथ का नाम	पथ की लम्बाई (कि0मी0)
1	लखीसराय/लखीसराय	लखीसराय बाईपास भाया अशोकधाम	1.65 कि0मी0

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
शम्भू चौधरी, उप–सचिव।

11 दिसम्बर 2014

सं० 11/अ0प्र0–3–65/2011–14484—कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, मुजफ्फरपुर पश्चिम के पत्रांक–774 अनु0 दिनांक 15.09.2014 से उपलब्ध दायित्व रहित अनापत्ति प्रमाण पत्र के आधार पर निम्न वर्णित पथ की स्थिति समीक्षोपरांत पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को हस्तानांतरण करने की अनुशंसा की जाती है:–

क्रमांक	कार्य प्रमंडल / जिला	पथ का नाम	पथ की लम्बाई (कि0मी0)
1	मुजफ्फरपुर पश्चिम / मुजफ्फरपुर	नरसंडा (एन0एच0–28) से फरदो नदी (मुबारकपुर) पथ।	4.00 कि0मी0

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
शम्भू चौधरी, उप–सचिव।

---

11 दिसम्बर 2014

सं० 11 / अ0प्र0–01–05 / 2014–14490––कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, पटना के पत्रांक–1872 अनु0 दिनांक 22.10.2014 से उपलब्ध दायित्व रहित अनापत्ति प्रमाण पत्र के आधार पर निम्न वर्णित पथ की स्थिति समीक्षोपरांत पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को हस्तानांतरण करने की अनुशंसा की जाती है:–

क्रमांक	कार्य प्रमंडल / जिला	पथ का नाम	पथ की लम्बाई (कि0मी0)
1	पटना / पटना	खुशरूपुर–नगरनौसा पथ के खुशरूपुर के सामना पर तक पथांस।	1.11 कि0मी0

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
शम्भू चौधरी, उप–सचिव।

---

29 दिसम्बर 2014

सं० 11 / अ0प्र0–01–16 / 2014–15336––कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, पूर्णिया के पत्रांक–1229अनु0 दिनांक 21.10.2014 से उपलब्ध दायित्व रहित अनापत्ति प्रमाण पत्र के आधार पर निम्न वर्णित पथ की स्थिति समीक्षोपरांत पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को हस्तानांतरण करने की अनुशंसा की जाती है:–

क्रमांक	कार्य प्रमंडल / जिला	पथ का नाम	पथ की लम्बाई (कि0मी0)
1	पूर्णिया / पूर्णिया	धमदाहा से वनमनखी	22.00 कि0मी0 (6.00 कि0मी0) ग्रामीण कार्य विभाग, पूर्णिया के अधीन

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
शम्भू चौधरी, उप–सचिव।

---

17 दिसम्बर 2014

सं० 11 / अ0प्र0–01–23 / 2014–14752––कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, नवगछिया के पत्रांक–1113 अनु0 दिनांक 18.10.2014 से उपलब्ध दायित्व रहित अनापत्ति प्रमाण पत्र के आधार पर निम्न वर्णित पथ की स्थिति समीक्षोपरांत पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को हस्तानांतरण करने की अनुशंसा की जाती है:–

क्रमांक	कार्य प्रमंडल / जिला	पथ का नाम	पथ की लम्बाई (कि0मी0)
1	नवगछिया / भागलपुर	तेतरी एन0एच0–31 हरिजन टोला से दुर्गा स्थान तेतरी चौक तक।	02.00 कि0मी0

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
शम्भू चौधरी, उप–सचिव।

---

17 दिसम्बर 2014

सं० 11 / अ0प्र0–01–04 / 2014–14750––कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, झाझा के पत्रांक–1002 अनु0 दिनांक 10.10.2014 से उपलब्ध दायित्व रहित अनापत्ति प्रमाण पत्र के आधार पर निम्न वर्णित पथ की स्थिति समीक्षोपरांत पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को हस्तानांतरण करने की अनुशंसा की जाती है:–

क्रमांक	कार्य प्रमंडल / जिला	पथ का नाम	पथ की लम्बाई (कि0मी0)
1	झाझा(जमुई) / जमुई	''बस स्टैंड से खलासी मुहल्ला, झाझा(0.5 कि0मी0) एवं झाझा–सिमुलतल्ला रोड–20 कि0मी0	18.63 कि0मी0

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
शम्भू चौधरी, उप–सचिव।

3 फरवरी 2015

सं० 11/अ0प्र0–01–36/2014–1313––कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, लखीसराय के पत्रांक–1707 अनु0 दिनांक 23.12.2014 से उपलब्ध दायित्व रहित अनापत्ति प्रमाण पत्र के आधार पर निम्न वर्णित पथ की स्थिति समीक्षोपरांत पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को हस्तानांतरण करने की अनुशंसा की जाती है:–

क्रमांक	कार्य प्रमंडल/जिला	पथ का नाम	पथ की लम्बाई (कि0मी0)
1	लखीसराय/लखीसराय	पीरी बाजार से बसौनी	7.55 कि0मी0

पूर्व में अधिसूचित अधिसूचना संख्या–11/अ0प्र0–3–69/2011–1960 दिनांक 22.02.2013 को विलोपित समझा जाय।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
शम्भू चौधरी, उप–सचिव।

---

18 फरवरी 2015

सं० 11/अ0प्र0–01–17/2014–1967––कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, पटोरी के पत्रांक 718 दिनांक 27.10.2014 से उपलब्ध दायित्व रहित अनापत्ति प्रमाण पत्र के आधार पर निम्न वर्णित पथ की स्थिति समीक्षोपरांत पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को हस्तानांतरण करने की अनुशंसा की जाती है:–

क्रमांक	कार्य प्रमंडल/जिला	पथ का नाम	पथ की लम्बाई (कि0मी0)
1	पटोरी/समस्तीपुर	मोहिउद्दीन नगर(बलुआही) पतसिया पथ।	10.662कि0मी0

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
शम्भू चौधरी, उप–सचिव।

---

18 फरवरी 2015

सं० 11/अ0प्र0–1–4/2015–1975––कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, बेतिया के पत्रांक 176 अनु0 दिनांक 16.02.2015 से उपलब्ध दायित्व रहित अनापत्ति प्रमाण पत्र के आधार पर निम्न वर्णित पथ की स्थिति समीक्षोपरांत पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को हस्तानांतरण करने की अनुशंसा की जाती है:–

क्रमांक	कार्य प्रमंडल/जिला	पथ का नाम	पथ की लम्बाई (कि0मी0)
1	बेतिया/बेतिया	मनुआ पुल योगापट्टी–नवलपुर–रतवल पुल तक पथ (मनुआ पुल से नवलपुर तक पथ)	21.00 कि0मी0

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
शम्भू चौधरी, उप–सचिव।

---

19 फरवरी 2015

सं० 11/अ0प्र0–03–70/2011–1994––कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, शेखपुरा के पत्रांक 71 अनु0 दिनांक 12.01.2015 से उपलब्ध दायित्व रहित अनापत्ति प्रमाण पत्र के आधार पर निम्न वर्णित पथ की स्थिति समीक्षोपरांत पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को हस्तानांतरण करने की अनुशंसा की जाती है:–

क्रमांक	कार्य प्रमंडल/जिला	पथ का नाम	पथ की लम्बाई (कि0मी0)
1	शेखपुरा/शेखपुरा	शेखपुरा से सुमका पथ।	21.00 कि0मी0

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
शम्भू चौधरी, उप–सचिव।

वाणिज्य–कर विभाग

अधिसूचना

4 जून 2015

सं० 6/वि0पत्रा0–24–30/93(खंड–1)– 2458/ वा0कर–बिहार मूल्य वर्द्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा–9 एवं बिहार मूल्य वर्द्धित कर नियमावली, 2005 के नियम–8 के अन्तर्गत वाणिज्य–कर

न्यायाधिकरण, बिहार, पटना के सदस्य (लेखा) की नियुक्ति हेतु एक योग्य उम्मीदवार के चयन के लिए चयन समिति का गठन निम्नवत् किया जाता है :–

1. सदस्य राजस्व पर्षद, बिहार, पटना	–	अध्यक्ष
2. प्रधान सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना	–	सदस्य
3. प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना	–	सदस्य
4. वाणिज्य–कर आयुक्त–सह प्रधान सचिव, बिहार, पटना	–	सदस्य
5. सचिव विधि विभाग, बिहार, पटना	–	सदस्य

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
अशोक कुमार सिन्हा, अवर सचिव।

पथ निर्माण विभाग

(शुद्धि–पत्र)
29 दिसम्बर 2014

सं० निग/सारा–1(पथ)नि0वि0–27/07–12732(एस)––पथ निर्माण विभाग के अधिसूचना संख्या 11959 (एस)–सहपठित ज्ञापांक–11960 (एस) अनु0 दिनांक 11.12.14 की कंडिका–1 में उल्लिखित केन्द्रीय निरूपण अंचल के स्थान पर केन्द्रीय निरूपण संगठन पढ़ा जाय तथा अधिसूचना की प्रतिलिपि में अंकित अधीक्षण अभियंता, केन्द्रीय निरूपण अंचल, पटना के स्थान पर अधीक्षण अभियंता, उच्च पथ योजना एवं अन्वेषण अंचल, केन्द्रीय निरूपण संगठन, पथ निर्माण विभाग, पटना एवं प्रतिलिपि के अंतिम पंक्ति में अंकित केन्द्रीय निरूपण अंचल के स्थान पर केन्द्रीय निरूपण संगठन पटना पढ़ा जाय।

2. विभागीय अधिसूचना संख्या–11959 (एस)–सहपठित ज्ञापांक–11960 (एस) अनु0 दिनांक 11.12.14 को इस हद तक संशोधित समझा जाय।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
(ह०) अस्पष्ट, उप–सचिव (निगरानी)।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट, 13–571+100-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in

भाग-9(ख)

निविदा सूचनाएं, परिवहन सूचनाएं, न्यायालय, सूचनाएं और सर्वसाधारण सूचनाएं इत्यादि।

सं० 9877
अधीक्षक का कार्यालय
पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल, पटना

निविदा सूचना

पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल, पटना के विभिन्न विभागों में वित्तीय वर्ष 2015–16 अन्तर्गत उपयोग आने वाले दवा, डायगनोस्टीक रैपिड कीट, सर्जिकल सामाग्री एवं अन्य सहायक सामग्री आदि के क्रय हेतु बिहार वाणिज्यकर में निबंधित निर्माताओं/प्राधिकृत विक्रेताओं से मुहरबंद कम्प्युटराईज टंकित निविदा, प्रकाशन की तिथि से 21 (इक्कीस) दिनों के अन्दर निबंधित डाक/स्पीड पोस्ट द्वारा सभी आवश्यक वॉछित अभिलेखों के साथ आमंत्रित किया जाता है।

बिहार के बाहर के फर्म जो बिहार वाणिज्यकर में निबंधित नही है, वे भी निविदा में इस शर्त्त के साथ भाग ले सकते है कि दर अनुमोदन के पश्चात् क्रय आदेश निर्गत करने के पूर्व बिहार वाणिज्यकर में निबंधन करा लेगें अन्यथा उनको क्रय आदेश नहीं दिया जायेगा। तत्पश्चात् क्रय समिति के निर्णयानुसार द्वितीय अनुमोदित दर वाले निविदादाता को क्रय आदेश दिया जायेगा।

निविदा प्रत्येक वर्ग के लिए दो भागों में होगी, तकनीकि एवं वित्तीय निविदा अलग–अलग लिफाफे में मुहरबंद तथा लिफाफे के उपर औषधी, डायगनोस्टीक रैपिड कीट, सर्जिकल सामाग्री एवं अन्य सहायक सामग्री हेतु तकनीकि निविदा/वित्तीय निविदा सुस्पष्ट रूप से अंकित रहना अनिर्वाय होगा । निविदा सिर्फ निबंधित डाक या स्पीड पोस्ट से प्राप्त किया जायेगा। निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त निविदा/निबंधित डाक या स्पीड पोस्ट के अलावा किसी अन्य माध्यम से प्राप्त निविदा या फटा/खुला निविदा किसी भी परिस्थिति में स्वीकार नही किया जायेगा। औषधि, डायगनोस्टीक रैपिड कीट, सर्जिकल सामाग्री एवं अन्य सहायक सामग्री हेतु निविदा शर्त्त के अनुरूप अग्रधन राशि संलग्न करना अनिवार्य होगा, साथ हीं निविदा में संलग्न सभी अभिलेख पूर्ण रूप से विषय सूची के साथ पृष्ठांकित होगी। निविदा से संबंधित विस्तृत सूचना www.prdbihar.org/www.prdbihar.gov.in एवं www.pmch.in से डाउनलोड कर या किसी भी दिन कार्यालय अवधि में आवेदन के साथ प्राप्त किया जा सकता है।

NOTICE INVITING TENDER

Tender for Drugs, Diagnostic Rapid Kits, Surgical Items and Supporting Miscellaneous Items in Category –A, Category-B, Category-C and Category-D

Patna Medical College and Hospital, Patna is a 1675 bedded hospital with an occupancy rate of more than 95% having all Specialty with 8 intensive Care units catering to need of People of Bihar neighbouring State and countries. To ensure good Quality Healthcare PMCH is aiming towards rational drug management and Procurement to ensure Good Quality drugs and Services as per the gaudiness of Government .

Bids are invited from Interested Companies/ Firm / Manufacturers / Direct Importers / Authorized C&F agents / Sole Distributors / Dealers to Supply essential and other important Drugs, Diagnostic Rapid Kits, Surgical Items and Supporting Miscellaneous Items for the year 2015 – 16. Details of Drugs, Diagnostic Rapid Kits, Surgical Items and Supporting Miscellaneous Items can be available from the office of Superintendent, Patna Medical college & Hospital, Patna during office Hours or on website – **www.prdbihar.org**and**www.pmch.in .**

Minimum Eligibility Criteria :- Bidder Should meet the following criteria to be eligible for bidding for category – A, B, C and D.

(a) Tender bid is invited for **Drugs, Diagnostic Rapid Kits, Surgical Items and its Supporting Miscellaneous Items** for the eligible interested Companies/ Firm / Manufacturer / Direct Importer / Authorized C& F agent / Sole Distributor / Dealers etc. Manufacturers Company / Bidder which have been blacklisted / De-registered / De-Barred by any Government Institutions / Organization in India are barred for Participating in this tender . Their Bids will not be Considered .

(b) If Bidder is Dealer / Firm / Sole Distributors / C&F Agent, Original Authorization of Manufacturer Company must be attached and must be mentioned Particular Tender No.- and declaration That the company has not been Blacklisted / De-Registered / De-Barred by any Government Institutions / Organizations in India in his Authorization letter .

(c) Manufacturer company must have minimum 3 years Old Manufacturing License of the Quoted Product with Latest License Renewal Certificate and Approved Product list . In case of Importer, The Importer Firm must have minimum 3 Years Old Valid Import license of the Quoted product and Proof of Import and Sale of these product in India by the Importer Firm.
For Category – 'B' the Importer must be registered by Central Drug Standard Control Organizations in Form -41 under Rule 27A of Drug & Cosmetic Act 1945 for IVD Productsonly .
Manufacturing License / Import License must be valid on the First Date of Submission Date of the Tender .

(d) Manufacturer Company must have market Standing in India of Minimum Last 3 Consecutive Financial / Calendar Years between 2012-13 to 2014-15 / 2012 to 2014 respectively (whichever is applicable) issued by the Concerned Licensing Authority for Drug Control Department or Any relevant Govt. Authority for Only Category – 'A''B'and 'C'. Excluding new molecules formulation.

(e) WHO GMP / GMP / COPP Certificate for the manufacturing Unit for the Category – 'A' and 'B'. For category 'C' and 'D' products valid ISO/CE/BIS etc. Certificates, Whichever is applicable to be Submitted.

(f) Annual Turn Over of the Manufacturer Company Should be minimum Rs. – 25 (Twenty Five) Crores, for Category – 'A' and 'B'& Rs. – 5 (Five) Crores for Category – 'C' and Rs. – 1 (One) Crores for Category _ 'D' in each Year for Three Consecutive Years between 2012-13 to 2014-15, issued by Registered C.A. bearing his Registration Number .

(g) Upto Date non Conviction Certificate of Manufacturer Company issued by the Licencing Authority of Drug Control Department under Drug and Cosmetic Act 1940 and the Rules 1945 for Category – 'A', 'B' and 'C'. If validity Date is not mentioned in the Non-Conviction Certificate, it must have been issued within 6 Month from First Date of Submission of Tender .
For Category – 'D' An Affidavit sworn before the First Class Magistrate Stating That **"The Company Or Any Officer of the Company has not been ever Convicted under Relevant Act and Rules**" .

(h) Income Tax Return for 3 (Three) Consecutive Assessment Years between 2012-13 to 2014-15 for Manufacturing Company.

(i) Photocopy of PAN Card of Manufacturing Company.

(j) Bidder shall Submit An Affidavit Stating That "**The Company / Firm has not been Blacklisted / De-Registered / De-Barred by any Govt. Institutions/ Organizations in India and shall also Mentioned Full Name and Address with Telephone/ Fax/Mobile Number in the Affidavit" .**

(k) If Bidder is Dealer / Sole Distributors / C&F Agent/Authorized by the manufacture it must Submit VAT Registration Certificate, up to Date Drug License Renewal Certificate, Physical Verification Certificate of the Firm issued drugs last One Year from the Date of Submission by

the relevant authority, Photocopy of PAN Card and Income Tax Return must be attached in Technical Bid . If the Bidder has not been registered in Bihar Sales Tax Department, they will be required to be registered in Bihar Sales tax Department after award the contract.

(l) Bidder will be required to Deposit EMD in form of Demand Draft / Banker's Cheque / Pledge NSC/ Pledge Fixed Deposit receipt in Favour of Superintendent, Patna Medical college & Hospital, Patna of Rs.- 1,00,000/- (One Lacs) for each Category – 'A', 'B', 'C' and'D' Rs.- 50,000/- (Fifty Thousand) .

Submission Requirement :-

Interested eligible Company wishing to bid, May Submit their Tender in Large Envelope Marked – "Tender of Drugs Category – 'A'". This large Envelope Contains Two Separate Sealed Envelope – "One Marked TECHNICAL BID For Category 'A' and another Marked Financial Bid for Category 'A'". Similarly for Category 'B', 'C' and 'D', Bid Must be submitted in a Separate Envelops Marked accordingly like above .

Note:- (For All Category Bidders A, B, C and D) –

1. Mention the names of Drug / Item along with Sr. No. of the Tender Product List for Which you are Bidding (as per Performa – A) and relevant Paper should attached . The relevant Page No. must be mentioned on the Check List Also.

PROFORMA – A (For Technical Bid)

Category –A/B/C/D	Sr. No. (as per Tender Item List)	Name of the Drug / Item	Specifications and Strength	Details of Company				
				Name of the Manufacturer Company	Manufacturer License No. (Relevant Page No)	Issued Memo no & date of Market Standing certificate in India by Competent authority (Relevant Page No)	Issued Memo no & date of Non-conviction certificate by Competent authority (Relevant Page No)	Issued Memo no & date of GMP/ Quality certificate by Competent authority (Relevant Page No)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**

2. Bidders are Required to submit separate Bids for each Category .
3. Bidders are required to submit Separate EMD for each Category.
4. Technical Bids not accompanied by Earnest Money or any of the above mentioned Documents shall be rejected .
5. All Documents are attested by Bidder with seal and an Affidavit in original Copy stating That "**If at any stage comes to notice of PMCH for any sources that submitted document in bid is false/fake**. **The PMCH reserve the right to verify it and If it found that True the Earnest Money of the said Party shall be forfeited and Legal Processing against the Manufacturer Company / Bidder shall be initiated as per Law .**"
6. Bidder of All Category shall submit an Affidavit in Original Copy stating That "**If at any stage comes to notice of PMCH for any Sources that Manufacturer Company/Bidder is Blacklisted / De-registered/ De-Barred has cancelled the Facts . The PMCH reserve the right to verify it and If it found that True the Earnest Money of the said Party shall be forfeited and Legal Processing against the Manufacturer Company / Bidder shall be initiated as per Law .**"
7. Bidder firm shall Quote only single Rate for One Product / Item . If the rate of More than the Single for the same product / item than the rate of the Product will be not considered.

You are requested to clearly indicate by index each of the submission requirements mentioned in cover A and cover B along with relevant page number in your cover letter/ application accompanying the technical proposal.

FINANCIAL BID :-

1. In case of discrepancy in "In Figure" price and "In Words" price than "In words" price would prevail .
2. For all categories an affidavit has to be given in Financial Bid Envelope that "The rate Quoted (basic rate exclusive VAT) in the financial bid is at least 20% less than the MRP.
3. Quoted Rate of the Drug must not exceed the selling price as fixed by NPPA as per the Provision of DPCO and An Affidavit before the first class magistrate to this effect must be enclosed with financial bid and also mentioned in above affidavit "The Quoted rate is this Financial Bid is Not More than the rate Quoted is any other Government Organization/ institutions for Supply .
4. Price list in Form-V as per provision of DPCO for Drug Item and Price List/MRP List/ Trade Price List for Another Item must be enclosed with the financial Bid.
5. Rate Quoted shall be exclusive of VAT as per "Performa – B".

PROFORMA – B (For Financial Bid)

Category – A/B/C/D	Sr. No. (as per Tender Item List)	Name of the Drug / Item	Specifications and Strength	Name of mfg. company	Mfg. License Number	Pack Size	Rate In Rs. Per Unit i.e. of 1 (One) Tab. /Cap. /Amp. /Vial /Phy./Foil /Bottle/ Tube etc.		MRP(as per MRP Price List /Trade Price List/Form V) as applicable
							In Figure	In Word	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

6. Each page of the Financial Bid should be Duly Signed and Sealed by the Tenderer .
7. In Case of Non-Submission of any one or all of the above Financial Bid will be not considered .

Tender Conditions:

i. The tab/Cap./bottle etc. should have mark of "Hospital supply, not for sale".

ii. Samples of Supplies in each batch will chosen for testing by Government of Bihar notified laboratories.

iii. Liquidated damages will be levied for delay supply (0.5% per day subject to a maximum of 15%) 45 days after issued order.

iv. Minimum expiry period of the products should not be less than 18 months or 80% of Self Life from the date on which the store receives the products. If the self life of the products is less than 18 months only, the above condition shall be reduced to 1 year.

v. If the product fails in quality test, the entire batch will be taken back by the supplier at the supplier'scost and the hospital shall not be responsible for any damage during this period.

vi. Leaked, soiled, broken containers with damage labels shall not be accounted for the purpose of supply.

vii. The inner label as well as label on the catch cover/ carton shall bear conspicuously the words, "HOSPITAL SUPPLY NOT FOR SALE" and bolder than those already printed on the label. The above caption shall run from the lower left corner to the top right hand corner.

viii. Bidder should quote one rate for one product.

ix. The rate contract will be applicable for the financial year only.

x. All Affidavit submitted by the first class Magistrate in original copy in each and every tender.

xi . If the awarded supplier is unable to meet the fully supply at the L^1 rate in given time frame, the award can be given to L^2 bidders by decision of purchase committee.

Deadline for Submission of Proposal.—The technical and financial bid in separate sealed envelopes must reach the office of the undersigned within 21 (Twenty One) days of the publication of the tender by Registered post/ Speed Post. In no circumstances the tender will be accepted by hand.

Opening of Bids.—Technical Bid will be opened in next working day at 12.30 PM in "Superintendent Office" in presence of Purchase Committee after submission date of this tender. Bidders or Their Authorized Representative are may be present in the Meeting at that Time and Date.

Financial bid of those parties will be opened who qualify in technical bid. The decision of the Purchase Committee of Patna Medical College & Hospital, Patna will be final. The committee reserves the right to cancel the bid at any time without assigning any reason. For further enquiries contact Superintendent Office during office hours on working days.

After being awarded the contract, the awardees will be required to be registered with the Bihar Sales Tax if not registered. The selected Company/ Firm will be immediately informed about the final award. In case the selected Company Firm declines to take up the task at the quoted and approved rates, it would be barred from applying for any tender from PMCH, Patna and will be recommended for black listing by Govt. of Bihar. Also the tender/Security money will be forfeited. Any matter according to dispute leading to court case will be within preview of Patna district only

Financial bid of those parties will be opened who qualify in technical bid. The decision of the Purchase Committee of Patna Medical College & Hospital, Patna will be final. The committee reserves the right to cancel the bid at any time without assigning any reason. For further enquiries contact Superintendent Office during office hours on working days.

After being awarded the contract, the awardees will be required to be registered with the Bihar Sales Tax if not registered. The selected Company/ Firm will be immediately informed about the final award. In case the selected Company Firm declines to take up the task at the quoted and approved rates, it would be barred from applying for any tender from PMCH, Patna and will be recommended for black listing by Govt. of Bihar. Also the tender/Security money will be forfeited. Any matter according to dispute leading to court case will be within preview of Patna district only.

.

CATEGORY - 'A'

Sl.No.	Drug Name	Strength	Packing Unit
01	Injection Anti Haemophilic Factor-VIII	(Plasma Derived Factor VIII Fraction I.P Containing Factor-VIII- 250I.U)	250I.U

CATEGORY – "B"

Sl. No.	Name of Diagnostics Rapid Kit
01	HIV I & II Rapid Test Kit
02	HBSAG Rapid Test Kit
03	HCV Rapid Test Kit
04	Malaria Test kit a. Antigen (PF/ PAN) b. Antibody (PF/ PV)
05	Pregnancy Test Kit
06	(i) Dengue Test Kit IgG/IgM (ii) Dengue Test Kit NS_1 Ag+Ab Combo
07	Multi stick for Urine (10 parameter)
08	Uristick for Urine (2S)

Sl. No.	Name of Diagnostics Rapid Kit
09	Combi Stick for Urine (4S)
10	Gluco Strip
11	Uristick (2S)
12	Uristick (4S)

CATEGORY – "C"

Sl. No.	Name of Drug	Specifictaion / Strength
01	Chest Drainage Catheter Tube	All Sizes
02	Central Venus Catheter	Single Lumen, Double Lumen, Triple Lumen
03	Corrugated Rubber Sheet	All Sizes
04	C.V.P Lime catheter 3-Way	All Sizes
05	Epidural Set with Catheter and Filter	All Sizes
06	Resvior Bag	All Sizes
07	Spirit	400ml bottle (80-90% Alcohol) I.P/B.P
08	Suction catheter with tube	All sizes
09	Vaccutainer Tube (Plain/ Fluroide/ EDTA/Sodium Citrate)	

CATEGORY – "D"

Sl. No.	Name of Drug	Specifictaion / Strength
01	Ambu bag	Adult and Child
02	Cotton thread	No.- 10
03	Crape Bandage	Size:- 4" & 6"
04	Disposable Gown/Apron	All Sizes
05	Disposable Surgeon Mask	
06	Disposable Surgeon Cap	
07	Disposable Nebuliser Face Mask	Adult and Child
08	E.C.G Paper	(BPL-9108, Motora – 2012)
09	Electorlyte Solution	Sterigen Machine. One liter electrolyte should generate 30 liters final ready to use solution of 400 ppm. Pack Size should be of 20 ltrs.
10	HIV Protective Kit	
11	Liquid Hand Wash Soap	All Strength
12	Microcidal Solution for hand wash	All Strength
13	Oxygen Mask Disposable	Adult, Child, Infant
14	Safety Lancet	No- 28G

Place.— Patna **S/d-Illegible**
Date— 6th June 2015 ***SUPERINTENDENT.***

सं० 9352

अधीक्षक का कार्यालय

पटना चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, पटना

निविदा सूचना

वर्ष 2015–16 में पटना चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, पटना के प्रयोजनार्थ स्टेशनरी सामग्री/मरीजों के इलाज हेतु उपयोग होने वाले मानक एवं गैर मानक प्रपत्रों की छपाई हेतु बिहार वाणिज्य–कर में निबंधित इच्छुक निविदादाता (आपूर्त्तिकर्ता/निर्माता/प्राधिकृत विक्रेता) से निविदा प्रकाशन की तिथि से 30 (तीस) दिनों के अन्दर निबंधित डाक/स्पीड पोस्ट के द्वारा निविदा आमंत्रित किया जाता है। इस संबंध में विस्तृत जानकारी हेतु बिहार सरकार के वेबसाईट सं०– www.prdbihar.gov.in एवं www.pmch.in पर देखा जा सकता है। साथ ही साथ निविदा से संबंधित पूर्ण जानकारी एवं सूची प्राप्ति हेतु किसी भी कार्यदिवस को अधोहस्ताक्षरी के स्टेशनरी शाखा से प्राप्त कर सकते हैं।

निविदा शर्त एवं सामग्रियों की सूची :

1. निविदा दो प्रकार की होगी, तकनीकी एवं वित्तीय जो अलग–अलग लिफाफे में मुहरबन्द दिया जायेगा। एक ही लिफाफे में दोनों निविदा देने पर स्वतः रद्द समझा जायेगा। तकनीकि एवं वित्तीय लिफाफे पर निविदादाता को स्पष्ट रूप से निविदा का विषय अंकित करना होगा।
2. तकनीकी एवं वित्तीय लिफाफे पर निविदादाता स्पष्ट रूप से निविदा का विषय अंकित करेंगे। निविदा दो खण्डों में होगा। खण्ड (क) स्टेशनरी सामग्री/खण्ड (ख) मानक एवं गैर मानक प्रपत्रों की छपाई हेतु।
3. निविदादाता का नाम, पूरा पता एवं दूरभाष संख्या तकनीकी निविदा में अंकित करना होगा।
4. निविदादाता को बिहार वाणिज्य–कर में निबंधित होना चाहिए एवं दर अनुमोदन के पश्चात् वाणिज्य–कर से प्राप्त अद्ययत्तन प्रमाण–पत्र अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में जमा करना होगा।
5. निर्माताओं के लिए उद्योग विभाग का पंजीयन पत्र एवं अद्यतन कार्यरत रहने का प्रमाण पत्र तकनीकी निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य है।
6. अगर लघु उद्योग इकाई है तो उसका अद्यतन कार्यरत रहने का प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है।
7. प्रत्येक खण्ड के लिए अलग–अलग निविदा प्रेषित किया जायेगा एवं लिफाफे पर स्पष्ट रूप से खण्ड का नाम अंकित रहेगा।
8. प्रत्येक खण्ड के लिए अलग–अलग 20,000/–(बीस हजार) रुपये का एन०एस०सी०/बैंक ड्राफ्ट जो अधीक्षक, पटना चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, पटना के पदनाम से प्रतिभूत होगा। तकनीकी निविदा में संलग्न करना होगा। लघु उद्योग इकाई को सरकार द्वारा देय अधिमान दिया जायेगा।
9. निविदा टंकित एवं मुहरबंद होगा। हस्तलिखित निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।
10. निविदादाता किसी क्रिमिनल केस अथवा किसी सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थान के द्वारा दण्डित नहीं किये गये हैं इस आशय का शपथ पत्र (मूल प्रति) कार्यपालक दण्डाधिकारी के माध्यम से प्राप्त कर तकनीकी निविदा में संलग्न करना होगा।
11. निर्गत सामग्रियों की सूची के अनुसार क्रमवार इनका नाम एवं निर्माता का नाम अंकित करना अनिवार्य होगा।
12. छपाई हेतु उद्योग विभाग में निबंधित होने का प्रमाण–पत्र संलग्न करना होगा।
13. आयकर में निबंधन (पैन नम्बर) होना अनिवार्य है।
14. क्रय समिति में तकनीकी निविदा की स्वीकृति के पश्चात् ही वित्तीय निविदा खोला जायेगा एवं क्रयसमिति को किसी भी निविदा को बिना कारण बताये रद्द करने का अधिकार सुरक्षित होगा।
15. किसी भी विवाद का न्यायिक क्षेत्र पटना होगा।
16. स्वीकृत दर पर सामग्रियों की आपूर्त्ति नहीं करने पर जमानत की राशि जब्त कर ली जायेगी एवं फर्म को काली सूची में डाल दिया जायेगा।

खण्ड (क) स्टेशनरी सामग्रियों की सूची

क्र०सं०	सामग्रियों का नाम	साइज	निर्माता का नाम	क्वालिटी
1	2	3	4	5
1	पैड इंक	30 एम०एल०	कैमेल ब्रान्ड/ ,,	उत्तम
2	गम	250 एम०एल०	कैमेल ब्रान्ड/ ,,	,,
3	डुप्लीकेट बुक	1/12 साइज	मिलन/प्रिया/,,	,,
4	बोर्ड फाइल		मिलन/प्रिया/,,	,,
5	स्टाम्प पैड	70×110 एम०एम०	सुपरीम/कैमेल	,,

क्र०सं०	सामग्रियों का नाम	साइज	निर्माता का नाम	क्वालिटी
1	2	3	4	5
6	पीन		प्रीन्स / कंगारू	,,
7	कार्बन 503 ब्रान्ड	210×330 एम०एम०	कोरस	,,
8	कार्बन सेफायर	210×330 एम०एम०	कोरस	,,
9	खल्ली		कोरस ब्रान्ड	,,
10	लिफाफा (ब्राउन क्राफ्ट पेपर में)	10"×05"	–	,,
11	लिफाफा (सफेद / पीला मोटा पेपर में)	10"×05"	–	,,
12	लिफाफा बड़ा साइज में सफेद / पीला मोटा पेपर में	12"×12"	–	,,
13	टाइप राइटर रिबन	13 एम०एम०×10मी०	कोरस	,,
14	कार्बन सेफायर	डी०एफ० साइज	कोरस	,,
15	टैग अच्छे क्वालिटी का 8"		–	,,
16	कॉपियर पेपर	A4, A3, A_1	सेंचुरी	,,
17	सादा कागज डी०एफ० साइज	17"×27"	सेंचुरी / ओरियंट / एच०पी०सी०	,,
18	फाइन रजिस्टर	1, 2, 4 जिस्ता	ज्योति / मिलन / समकक्षब्रान्ड,,	,,
19	थीन पेपर 150 सीट	13.5×8.5 से०मी०	मिलन / प्रिया / ओरियेंट,,	,,
20	टाइप पेपर 200 सीट / 400 सीट	13.5×8.5 से०मी०	मिलन / प्रिया / ओरियेंट,,	,,
21	डी०एफ० रजिस्टर एक, दो एवं चार जिस्ता		ज्योतिब्रान्ड / समकक्ष,,	,,
22	कलम		ब्लू / काला लिखोफेंको	,,
23	रूलिंग पेपर	फुल स्केप	सेंचुरी / ओरियेंट / एच०पी०सी०	,,
24	पेन स्टैण्ड–दो कलम चार कलम	–	लिंक / समकक्ष	,,
25	पेपर वेट	–		,,
26	पीन कुसन	–		
27	मारकर	–		
28	केलकुलेटर 12 डिजिट चेक Facility के साथ	–	ओरपेट / कैसीयो / समकक्ष	
29	कलम ब्लू एवं काला	–	रिनोल्डस जैटर या समकक्ष	
30	स्टेपलर मशीन (छोटा एवं बड़ा)	–		
31	स्टेपलर पीन (छोटा एवं बड़ा)	–		
32	डॉटमेट्रिक्स पेपर	–	अच्छे क्वालिटी का	12×8×1 70gsm
33	एच0पी0 लेजर जेट 88 A		कम्प्यूटर इंक	
34	एच0 पी0लेजर जेट 12 A		कम्प्यूटर इंक	
35	एच0पी0 20 / 21 (इंक)		कम्प्यूटर इंक	
36	कभर फाइल (प्लास्टिक कोटेड)			
37	एच0 पी0 818		कम्प्यूटर इंक	
38	सी0डी0		सोनी / मॉउजरवियर / समकक्ष	
39	पैन ड्राईब		04, 08, 16, 32, 64 जी0बी0	
40	डी0बी0डी0		सोनी / मॉउजरवियर / समकक्ष	
41	सी0डी0 एवं डी0बी0डी0 बैग		अच्छे क्वालिटी का	
42	स्केल		12'' एवं 24''	
43	कैची		अच्छे क्वालिटी का	
44	माई क्लियर बैग		अच्छे क्वालिटी का	

क्र०सं०	सामग्रियों का नाम	साइज	निर्माता का नाम	क्वालिटी
1	2	3	4	5
45	फेवी स्टीक		अच्छे क्वालिटी का	
46	पेंसिल		नटराज/केमिलीन	
47	टेकुआ		अच्छे क्वालिटी का	

खण्ड (ख) विभिन्न प्रकार के प्रपत्रों की सूची

क्र० सं०	प्रपत्रों का नाम	साइज	फार्म नं०	निर्माता का नाम	क्वालिटी
1	2	3	4	5	6
1	बेड हेड टिकट	12"×08"	09	सेंचुरी/ओरियेंट/एच०पी०सी०	उत्तम क्वालिटी
2	टेम्प्रेचर चार्ट	12"×08"	51	,,	,,
3	हार्डवेयर स्टौक फार्म	12"×08"	115	,,	,,
4	मृत्यु प्रमाण–पत्र	09"×07"	63	एक्सक्युटिभ बौंड पेपर	,,
5	मिसलेनियस फार्म	09"×5.5	216	सेंचुरी/ओरियेंट/एच०पी०सी०	उत्तम क्वालिटी
6	पैथोलोजिकल फार्म	08"×04"	165	,,	,,
7	इण्डेन बुक 50×2	08"×07"	155	,,	,,
8	मनी रसीद 100×2	06"×04"	175	,,	,,
9	एक्स–रे लिफाफा ब्राउन क्राफ्ट पेपर	15"×12"		,,	,,
10	एक्स–रे लिफाफा ब्राउन क्राफ्ट पेपर	18"×15"		,,	,,
11	एक्स–रे लिफाफा ब्राउन क्राफ्ट पेपर	12"×12"		,,	,,
12	एक्स–रे लिफाफा ब्राउन क्राफ्ट पेपर	10"×12"		,,	,,
13	एक्स–रे लिफाफा ब्राउन क्राफ्ट पेपर	8"×12"		,,	,,
14	जी०पी०एफ० स्टेटमेंट फार्म	12"×08"		,,	,,
15	एक्स–रे रिपोर्टिंग पैड 100×1	09"×07"		एक्सक्युटिभ बौंड पेपर	,,
16	अल्ट्रासाउण्ड रिपोर्टिंग पैड (बड़ा) 100×1	12"×08"			
17	डिस्चार्ज टिकट	14"×11"		बोर्ड पेपर	
18	आर्डर बुक 200×1	12"×08"		सेंचुरी/ओरियेंट	
19	अल्ट्रासाउण्ट रिपोर्टिंग पैड 100×1(छोटा)	09"×07"		एक्सक्युटिभ बौंड पेपर	
20	इण्डेन बुक 100×2 (मुख्यमंत्री राहत कोष)	8.5"×05"		,,	,,
21	इन्कम टैक्स फार्म/वेतन विवरणी फार्म 16	12"×08"		सेंचुरी/ओरियेंट	उत्तम
22	मास्टर चार्ट	Fullscape		,,	,,
23	मरीज एवं अभिभावक परिचय पत्र	04"×04"		मोटा कार्डबोर्ड पेपर	,,

क्र० सं०	प्रपत्रों का नाम	साइज	फार्म नं०	निर्माता का नाम	क्वालिटी
1	2	3	4	5	6
24	जननी बाल सुरक्षा कार्यक्रम प्रपत्र			सेंचुरी / ओरियेंट	,,
25	जन्म प्रमाण–पत्र प्रपत्र			Executive Bond paper	,,
26	आडियोमेट्री रिपोर्ट कार्ड			मोटा कार्ड बोर्ड पेपर	,,
27	एंडोस्कोपी रिपोर्टिंग पैड	A4		Executive Bond paper	,,
28	ब्रान्होस्कोपी रिपोर्टिंग पैड	A4		Executive Bond paper	,,
29	फ्लाई लीफ अच्छे क्वालिटी छपाई के साथ व मोटा कुट क्लौथ पट्टी के साथ	14"×10"			उत्तम क्वालिटी
30	सामान्य जानकारी प्रपत्र	12"×8"		ओरियेंट / एचपीसी / सेंचुरी	,,
31	बन्ध्याकरण प्रपत्र	12"×8"		,,	,,
32	कालाजार प्रपत्र	12"×8"		,,	,,
33	बी० एच० टी० कभर फाइल छपाई के साथ	14"×10"			उत्तम क्वालिटी
34	चिकित्सक एवं कर्मचारी परिचय–पत्र	4"×4"		ए० टी० एम० कार्ड एवं फिता छपाई के साथ	
35	डेड बॉडी कैरींग प्रमाण पत्र फार्म	09"×07"		ओरियेंट / एचपीसी / सेंचुरी	
36	कैंसर रोगी प्रपत्र	24"×16"		ओरियेंट / एचपीसी / सेंचुरी	,,
37	मुद्रीत रजिस्टर (65 जी0एस0एम0 कागज) अस्पताल के लोगो एवं क्रमांक के साथ	17×27से०मी० एक जिस्ता / 100 पेज		सेंचुरी / ओरियंट / एच०पी०सी०	उत्तम
38	मुद्रीत रजिस्टर (65 जी0एस0एम0 कागज) अस्पताल के लोगो एवं क्रमांक के साथ	17×27से०मी० दो जिस्ता / 200 पेज		सेंचुरी / ओरियंट / एच०पी०सी०	उत्तम
39	मुद्रीत रजिस्टर (65 जी0एस0एम0 कागज) अस्पताल के लोगो एवं क्रमांक के साथ	17×27से०मी० चार जिस्ता / 400 पेज		सेंचुरी / ओरियंट / एच०पी०सी०	उत्तम
40	मुद्रीत उपस्थिति पंजी 17×27 से०मी० अस्पताल के लोगो एवं क्रमांक के साथ	एक जिस्ता / 100 पेज			उत्तम
41	मुद्रीत उपस्थिति पंजी 17×27 से०मी० अस्पताल के लोगो एवं क्रमांक के साथ	दो जिस्ता / 200 पेज			उत्तम
42	मुद्रीत उपस्थिति पंजी 17×27 से०मी० अस्पताल के लोगो एवं क्रमांक के साथ	चार जिस्ता / 400 पेज			उत्तम
43	पर्टोग्राम फार्म	A4 साईज		सेंचुरी	
44	निकू पिकू केस सीट प्रपत्र	DF साईज		सेंचुरी	
45	कॉटेज केबीन कार्ड	8"X 6"		कार्ड पेपर	
46	आगत पंजी	17" X 27"			
47	निर्गत पंजी	17" X 27"			

क्र० सं०	प्रपत्रों का नाम	साइज	फार्म नं०	निर्माता का नाम	क्वालिटी
1	2	3	4	5	6
48	वेतन पंजी प्रपत्र 17	DF साईज		सेंचुरी	
49	चपरासी वही	17'' X 27''			
50	बी0टी0सी0–51 प्रपत्र	12'' X 8''			
51	बी0टी0सी0–25 प्रपत्र	12'' X 8''			
52	बी0टी0सी0–29A प्रपत्र	12'' X 8''			
53	बी0टी0सी0–29 प्रपत्र	12'' X 8''			
54	बी0टी0सी0–13 प्रपत्र	12'' X 8''			
55	स्टौक लेजर प्रपत्र एवं बाईडीग (हार्डवेयर/मेडिसीन)	17'' X 27'' 100 पेज/200 पेज/300 पेज/400 पेज			
56	डायग्नोस्टिक रजिस्ट्रर प्रपत्र छपाई, लाईनिग एवं बाईडीग	400 पेज/ 600 पेज			
57	अधीक्षक एवं उपाधीक्षक पैड	17'' X 27''			
58	L.P.C प्रपत्र	12'' X 8''			
59	सेल्फ इंकिग पेपर से निर्मित A4 साईज बुक में (लाल, हरा, पीला पेपर पर नम्बरिग, परफेटिग एवं कुट बाईडिग के साथ)	A4 साईज			
60	मुद्रिक स्ट्रौक पंजी रजिस्टर नम्बरिग के साथ	लेजर पेपर 17'' X 27''/4		80 G.S.M	

प्रपत्र का नमूना कार्यालय से प्राप्त कर लेंगे।

क्रमांक 7, 8,15, 16,18,19,20,27 28,35, 37,38,39,40,41,42, 55, 56,57,59,60 का बुक/रजिस्टर बनाकर एवं शेष खुला हुआ देना होगा ।

स्थानः– पटना
दिनांक :– 23 मई 2015

(ह०)–अस्पष्ट,
अधीक्षक।

सूचना

No. 739—I, Digvijay, S/o Chandeshwar Singh Resident of Vill-Ujain, P.O. Darunda, Distt.Siwan Bihar vide affidavit no. 4521 dated 30.3.2015 have been changed my name to Digvijay Singh for all purposes.

DIGVIJAY.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट, 13–571+100-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in

बिहार गजट

का

पूरक(अ0)

प्राधिकारी द्वारा प्रकाशित

ग्रामीण कार्य विभाग

अधिसूचनाएं

28 मई 2015

सं० 3/अ0प्र0–4–13/15–1880––श्री आदिल नासरी, सहायक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल–1, समस्तीपुर के विरूद्ध उनकी भाभी के द्वारा कोतवाली थाना, पटना में दिनांक 07.04.2014 को प्राथमिकी सं0–237/14 दर्ज कराया गया। उक्त दर्ज प्राथमिकी के क्रम में श्री नासरी दिनांक 28.08.2014 से दिनांक 27.10.2014 तक न्यायिक हिरासत में रहे।

2. योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना द्वारा श्री नासरी के द्वारा बितायी गई उक्त न्यायिक हिरासत अवधि को निलंबित अवधि मानते हुए श्री नासरी को निलंबित करने का अनुरोध पथ निर्माण विभाग से किया गया। पथ निर्माण विभाग द्वारा सूचित किया गया कि श्री नासरी का पैतृक विभाग ग्रामीण कार्य विभाग है।

3. अतएव उक्त आलोक में श्री आदिल नासरी, सहायक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल–1, समस्तीपुर द्वारा दिनांक 28.08.2014 से 27.10.2014 तक की न्यायिक हिरासत अवधि को निलंबन अवधि मानते हुए उक्त अवधि के लिये उन्हें बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 9 (2) (क) के तहत निलंबित किया जाता है।

प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
शैलेन्द्र कुमार पाण्डेय, संयुक्त सचिव।

28 मई 2015

सं0 3 अ0प्र0–1–138/09–1872––श्री अशोक कुमार सिंह, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, पटना सम्प्रति जिला अभियंता मधेपुरा के विरूद्ध श्री श्याम किशोर पाण्डेय, संवेदक, मोलदीयारटोला द्वारा हरदास विगहा, खुसरूपुर पथ कटौना चमरटोली के लिए वर्ष 2006–07 में किये गये कार्य के विरूद्ध बकाया राशि का भुगतान करने हेतु परिवाद समर्पित किया गया, जिसकी जॉच करने हेतु अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना से विभागीय पत्रांक–6609 दिनांक 19.05.2011 द्वारा अनुरोध किया गया। अभियंता प्रमुख के पत्रांक–7122 दिनांक 31.05.2011 द्वारा यह सूचित किया गया कि वांछित मापीपुस्त एवं योजना अभिलेख प्राप्त होने के उपरान्त हीं जॉच प्रतिवेदन मंतव्य के साथ उपलब्ध कराया जा सकता है। वांछित अभिलेख उपलब्ध नही कराने के कारण श्री सिंह के विरूद्ध आरोप पत्र प्रपत्र "क" का गठन करते हुए विभागीय पत्रांक–10995 दिनांक 26.07.2011 द्वारा स्पष्टीकरण पूछा गया। श्री सिंह तदेन कार्यपालक अभियंता, कार्य प्रमंडल, पटना के पत्रांक–1984 दिनांक 26.05.2011 द्वारा अभियंता प्रमुख के पत्रांक–6615 दिनांक 19.05.2011

के क्रम में सूचना उपलब्ध करायी गयी जिसकी प्रति संलग्न कर अभियंता प्रमुख से पत्रांक–10994 दिनांक 26.07.2011 द्वारा प्रतिवेदन उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध किया गया। अभियंता प्रमुख के पत्रांक–10/अ0प्र0(को0) दिनांक 27.07.2011 द्वारा उक्त मामले की पूर्व में श्री राजेन्द्र प्रसाद राम, कार्यपालक अभियंता, निगरानी द्वारा की गयी जॉच प्रतिवेदन मापीपुस्तिका एवं अन्य अभिलेख के साथ उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया। विभागीय पत्रांक–12028 दिनांक 09.08.2011 द्वारा वांछित अभिलेख अभियंता प्रमुख को उपलब्ध करा दिया गया। श्री अशोक कुमार सिंह के पत्रांक–आवास संख्या–02 दिनांक 01.08.2011 द्वारा स्पष्टीकरण उपलब्ध कराया गया, जिसके आलोक में जॉच प्रतिवेदन उपलब्ध कराने हेतु अभियंता प्रमुख से अनुरोध किया गया। अभियंता प्रमुख ने श्री सिंह, कार्यपालक अभियंता से कागजातों की मॉग की, जिसे श्री सिंह द्वारा उन्हें उपलब्ध नहीं कराने का उल्लेख किया है। तद्नुसार अभियंता प्रमुख द्वारा श्री सिंह द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण को अस्वीकार योग्य बताया गया। अभियंता प्रमुख द्वारा मॉगे गये अभिलेखों को उपलब्ध नही कराना एक गंभीर आरोप है, यह कृत्य श्री सिंह के अनुशासनहीनता एवं कर्त्तव्यहीनता को दर्शाता है। तद्नुसार विभाग द्वारा समीक्षोपरान्त श्री अशोक कुमार सिंह, तदेन कार्यपालक अभियंता, कार्य प्रमंडल, पटना सम्प्रति जिला अभियंता, मधेपुरा को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 की कंडिका–14 के प्रावधानों के अन्तर्गत सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त करते हुए विभागीय अधिसूचना सं० 1820–सह–ज्ञापांक 1821 दिनांक 09.05.2013 द्वारा निम्नांकित दंड अधिरोपित किया गया :–

(i) आरोप वर्ष 2009–10 के लिये निन्दन की सजा, जो आरोप वर्ष 2009–10 को छोड़कर अगले तीन वर्षों यथा– 2010–11, 2011–12 एवं 2012–13 तक प्रभावी होगा।

(ii) दो वेतन वृद्धि पर असंचयात्मक प्रभाव से रोक।

श्री सिंह द्वारा उक्त संसूचित दंड के विरूद्ध उनके पत्रांक 63 अनु० दिनांक 09.06.2013, पत्रांक 212 अनु० दिनांक 24.07.2014 एवं पत्रांक 80 दिनांक 26.03.2015 द्वारा पुनर्विचार अभ्यावेदन विभाग को समर्पित किया गया। श्री सिंह के पत्रांक 80 दिनांक 26.03.2015 की कंडिका 5 में उल्लेख किया गया है कि वांछित अभिलेख जांच के क्रम में वर्ष 2010 में ही विभाग को एवं पुनः 2011 में अभियंता प्रमुख को उपलब्ध करा दिया गया था एवं कंडिका 6 में उल्लेख किया गया है कि उन्हें दिनांक 08.06.2011 को निलंबित किया गया था एवं वर्ष 2013 में निलंबन मुक्ति के पश्चात जिला अभियंता, मधेपुरा के पद पर पदस्थापित कर दिया गया। दिनांक 08.06.2011 के बाद जब वो कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, पटना के पद पर आसीन ही नहीं थे तो उनके स्तर से कागजात उपलब्ध कराने की कार्रवाई कैसे की जा सकती थी। इस आधार पर श्री सिंह द्वारा पूर्व में दिये गये अभ्यावेदन के साथ–साथ उठाये गये बिन्दुओं पर गहन समीक्षा कर विधि सम्मत निर्णय लेते हुए उनपर संसूचित दंड पर विचार करने का आग्रह किया गया है।

श्री सिंह द्वारा समर्पित पुनर्विचार अभ्यावेदन पत्रांक 80 दिनांक 26.03.2015 की समीक्षोपरांत पाया गया कि श्री सिंह के विरूद्ध आरोप आदेश उल्लंघन का है, जो अनुशासनहीनता की कोटि में आता है। जांच के क्रम में अभिलेख एवं दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराना पदाधिकारी के आचरण के प्रतिकूल है एवं कर्तव्हीनता का द्योतक है। अधिरोपित शास्ति लघु दंड की कोटि में आता है। अतः इसमें संशोधन का कोई आधार प्रतीत नहीं होता है एवं इसे यथावत बनाए रखा जा सकता है।

अतएव सरकार के निर्णयानुसार श्री अशोक कुमार सिंह, तदेन कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, पटना सम्प्रति कार्यपालक अभियंता, अग्रिम योजना, प्रमंडल–1, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना के पुनर्विचार अभ्यावेदन पत्रांक 80 दिनांक 26.03.2015 को अस्वीकृत किया जाता है।

प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
शैलेन्द्र कुमार पाण्डेय, संयुक्त सचिव।

---

1 जून 2015

सं0 3/अ0प्र0–1–16/14–1912––श्री प्रमोद कुमार सिन्हा, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, सुपौल सम्प्रति सहायक अभियंता के पद पर पदावनत द्वारा पदस्थापन काल में पथ प्रमंडल, सुपौल अन्तर्गत नारायणपुर चौक एन0एच0–57 झिल्ला–से करजाईन बाजार तक, एन0एच0–106 पथ के विभिन्न पथाशों यथाः– नारायणपुर चौक एन0एच0–57–झिल्ला–शाहपुर–पृथ्वीपट्टी–छिट्टी–सतनपट्टी–साह टोला–पंडित टोला– जगदीशपुर– करजाईन बाजार, एन0 एच0 106 पथ के कि0मी0 – 1 से 7, 8 अशं, 9 अंश, 10 से 13, 14 अंश, 15 अंश, 16 से 21 एवं 22 अंश तक कुल 19.92 किलोमीटर पथांश लम्बाई में क्रॉस ड्रेनेज एवं पथ बचाव कार्य सहित आई0 आर0 क्यू0 पी0 कार्य की 2008–09 की निविदा के Financial bid खोलने एवं दरों में हेरा–फेरी करने के आरोपों की उड़नदस्ता प्रमंडल सं0–2 द्वारा जाँचोपरान्त समर्पित जॉच प्रतिवेदन के आधार पर पथ निर्माण विभाग द्वारा सुनवाई की गयी। सुनवाई के दरम्यान इनका कोई defence नहीं पाए जाने के फलस्वरूप पथ निर्माण विभाग की अधिसूचना संख्या–4756 (एस) दिनांक 15.05.2009 द्वारा इन्हें निलंबित करते हुए इनके विरूद्ध आरोप प्रपत्र–'क' गठित कर पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना का पत्रांक 7788 (एस) डब्लू0ई0 दिनांक 15.07.09 द्वारा इनसे बचाव बयान की मांग की गई। श्री सिन्हा, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता के आवेदन दिनांक

22.07.09 द्वारा समर्पित बचाव बयान के समीक्षोपरान्त इसे स्वीकार योग्य नहीं पाया गया। तत्पश्चात पथ निर्माण विभाग का संकल्प ज्ञापांक–12101 (एस) डब्लू०ई० दिनांक 29.10.09 द्वारा इनके विरूद्व विभागीय कार्यवाही संचालित की गई।

2. श्री सिन्हा, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता द्वारा निलंबन से मुक्त करने हेतु समर्पित आवेदन दिनांक 27.09.10 को समीक्षोपरान्त पथ निर्माण विभाग के अधिसूचना संख्या–905 (एस) दिनांक 21.01.11 द्वारा इन्हें निलंबन से मुक्त किया गया।

3. पथ निर्माण विभाग के कार्यवाही में संचालन पदाधिकारी श्री शिशिर सिन्हा (अपर विभागीय जाँच आयुक्त) के पत्रांक–291 दिनांक 14.08.2012 द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन में श्री सिन्हा के विरूद्ध गठित चार आरोपों में से सभी आरोपों को प्रमाणित पाया गया। संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन पर विचारोपरान्त प्रमाणित पाये गये आरोपों के संदर्भ में जाँच प्रतिवेदन की छाया प्रति संलग्न करते हुए पथ निर्माण विभाग के पत्र–11991 (एस0) डब्लू ई0 दिनांक 14.11. 2012 द्वारा श्री सिन्हा से द्वितीय कारण पृच्छा की गई। श्री सिन्हा के पत्रांक–874 दिनांक 26.11.2012 द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा पर पथ निर्माण विभाग की तकनीकी समिति का मंतव्य प्राप्त किया गया। पथ निर्माण विभाग की तकनीकी समिति द्वारा श्री सिन्हा द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा के उतर को मान्य नहीं पाये जाने के आधार पर श्री सिन्हा, तदेन कार्यपालक अभियंता, के विरूद्ध वृहत दंड के रूप में सहायक अभियंता के पद पर अवनति करने का प्रस्ताव सक्षम प्राधिकार द्वारा अनुमोदित किया गया।

4. कालान्तर में अभियंताओं के कैडर विभाजन के फलस्वरूप श्री सिन्हा, तदेन कार्यपालक अभियंता से संबंधित संचिका ग्रामीण कार्य विभाग को प्राप्त होने एवं इस विभाग द्वारा निर्धारित दिशा निर्देशों के अनुरूप नियमानुसार कार्रवाई किये जाने के उपरान्त प्रमाणित आरोपों के लिए श्री प्रमोद कुमार सिन्हा, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता को विभागीय अधिसूचना संख्या–112–सह–पठित ज्ञापांक–113 दिनांक 09.01.2015 द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एव अपील) नियमावली, 2005 के नियम 14(vii) एवं बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एव अपील) (संशोधन) नियमावली, 2007 के नियम 14(viii) के तहत सहायक अभियंता के पद पर अवनति करने का दंड अधिरोपित किया गया।

5. श्री सिन्हा द्वारा उक्त संसूचित दंड के विरूद्ध पत्रांक–1, (आवास) पटना दिनांक 12.02.2015 द्वारा विभाग को पुर्नविलोकन अभ्यावेदन समर्पित किया गया। श्री सिन्हा द्वारा समर्पित पुर्नविलोकन अभ्यावेदन में सारतः यह उल्लेख किया गया है कि उनके विरूद्ध लगाये गये सभी चार आरोपों का मूल सरांश पथ प्रमंडल, सुपौल अन्तर्गत निविदा निष्पादन के प्रक्रिया में निविदा कार्यों की जिम्मेदारी से बचने का प्रयास है एवं सभी आरोपों की मूल अवधारणा ही पूर्णतः निराधार है। श्री सिन्हा द्वारा यह भी उल्लेख किया गया है कि उनके विरूद्ध शास्ति अधिरोपित करने के पूर्व बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा व्यक्त की असहमति के पश्चात अग्रेतर अपेक्षित कार्रवाई नहीं की गई एवं इस संदर्भ में समान्य प्रशासन विभाग द्वारा दिये गये मंतव्य पर भी कोई सकारण दंडादेश पारित नहीं किया गया। श्री सिन्हा द्वारा पुनः उल्लेख किया गया है कि मामले से संबंधित सहायक अभियंता, यथा श्री योगेन्द्र कुमार के विरूद्ध मात्र असंचयात्मक प्रभाव से दो वेतन वृद्धि रोकने का दंड अधिरोपित किया गया, अतएव नैसर्गिक न्याय के तहत उन्हें सहायक अभियंता को अधिरोपित शास्ति से गुरूतर शास्ति अधिरोपित नहीं की जाय।

6. श्री सिन्हा द्वारा समर्पित पुर्नविलोकन अभ्यावेदन की समीक्षोपरान्त पाया गया कि श्री सिन्हा के विरूद्ध गठित सभी चार आरोपों को अपर विभागीय जाँच आयुक्त द्वारा प्रमाणित पाया गया एवं यह अंकित किया गया कि श्री सिन्हा द्वारा न सिर्फ अपनी जिम्मेदारी से बचने का प्रयास किया गया बल्कि निविदा कागजात में हेराफेरी करके निविदा प्रकिया को गंभीर रूप से दूषित किया गया तथा संवेदक विशेष को गलत मंशा से अनुचित लाभ पहुँचाने का प्रयास किया गया। पथ निर्माण विभाग के तकनीकी समिति द्वारा भी श्री सिन्हा से प्राप्त बचाव बयान को मान्य नहीं पाया गया एवं चारो आरोपों में तकनीकी समिति द्वारा श्री सिन्हा के दोषी होने की अनुशंसा की गई। श्री सिन्हा के विरूद्ध अनुमोदित विभागीय प्रस्ताव पर बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा व्यक्त की गई असहमति का आधार स्पष्ट नहीं करने के आलोक में ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा सामान्य प्रशासन विभाग से प्रक्रिया के बिन्दु पर मार्गदर्शन प्राप्त करने के उपरान्त विभाग के स्तर पर मुख्य अभियंता–4 की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई। समिति द्वारा पूरे मामले की गहन समीक्षोपरान्त ही श्री सिन्हा के विरूद्ध प्रमाणित आरोपों के लिये पदावनति का दंड समानुपातिक पाया गया। मामले में संचालित विभागीय कार्यवाही में अपर विभागीय जाँच आयुक्त द्वारा सहायक अभियंता यथा श्री योगेन्द्र कुमार के विरूद्ध गठित कुल चार आरोपों में से मात्र आरोप संख्या–4 को प्रमाणित पाया गया, जबकि श्री प्रमोद कुमार सिन्हा, तत्कालीन कार्यपालक अभिंयता के विरूद्व गठित सभी चार आरोपों को अपर विभागीय जॉच आयुक्त द्वारा प्रमाणित पाया गया। पथ निर्माण विभाग द्वारा श्री योगेन्द्र कुमार, तत्कालीन सहायक अभियंता के विरूद्ध असंचयात्मक प्रभाव से दो वेतन वृद्वि रोकने का दंड अधिरोपित किया गया। श्री सिन्हा के विरूद्ध प्रमाणित सभी चार आरोपों के आलोक में ही सक्षम प्राधिकार के अनुमोदन के उपरान्त एवं मंत्रीपरिषद द्वारा दिनांक 23.12.2014 को आहूत बैठक में प्रस्ताव पर स्वीकृति प्रदान करने के उपरान्त श्री सिन्हा के विरूद्ध बिहार सरकारी सेवक(वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) के नियमावली 2005 के नियम 14(vii) एवं बिहार सरकारी सेवक(वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील)(संशोधन) के नियमावली 2007 के कंडिका 14(viii) के तहत सहायक अभियंता के पद पर अवनति करने की शास्ति अधिरोपित की गयी। इस प्रकार श्री सिन्हा द्वारा समर्पित पुर्नविलोकन अभ्यावेदन में ऐसा कोई नया तथ्य नहीं पाया गया, जो पूर्व में विचारित नहीं हुआ हो।

7. अतएव श्री प्रमोद कुमार सिन्हा, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, सुपौल सम्प्रति सहायक अभियंता के पद पर पदावनत द्वारा समर्पित पुर्नविलोकन अभ्यावेदन पत्रांक–1 (आवास) पटना दिनांक 12.02.2015 को अस्वीकृत किया जाता है।

8. प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
शैलेन्द्र कुमार पाण्डेय, संयुक्त सचिव।

———

27 मई 2015

सं0 2/अ0प्र0–1–01/2015 (खण्ड)–1844––श्री जावेद अशरफ, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल बॉका–2 को निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, बिहार, पटना के धावा दल द्वारा दिनांक 17.01.2015 को 1,00,000/– (एक लाख) रू0 रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजे जाने तथा उनके विरूद्व निगरानी थाना कांड सं0 004/2015 दिनांक 17.01.2015 के धारा 7/13(2) सह पठित धारा 13(1)(डी) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 दर्ज किये जाने के कारण विभागीय अधिसूचना संख्या 717–सह पठित ज्ञापांक 718 दिनांक 26.02.2015 द्वारा दिनांक 17.01.2015 के प्रभाव से निलंबित किया गया।

2. श्री अशरफ द्वारा जमानत पर दिनांक 19.03.2015 को जेल से रिहा होकर दिनांक 20.03.2015 को विभाग में योगदान किया गया।

3. श्री अशरफ द्वारा समर्पित अभ्यावेदन पर विभाग द्वारा समीक्षोपरांत बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 9(3)(1) के तहत श्री अशरफ का योगदान दिनांक 20.03.2015 के प्रभाव से स्वीकृत करते हुए पुनः नियम 9 (1)(क) एवं 9 (1)(ग) के तहत लोकहित में निलंबित किया जाता है।

4. निलंबन अवधि में श्री जावेद अशरफ का मुख्यालय अभियंता प्रमुख का कार्यालय, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना निर्धारित किया जाता है।

5. निलंबन अवधि में इन्हें बिहार सरकारी सेवक(वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 10 के सुसंगत कंडिकाओं के अनुरूप अनुमान्य जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।

प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
शैलेन्द्र कुमार पाण्डेय, संयुक्त सचिव।

———

कार्यालय आदेश
16 दिसम्बर 2014

सं0 3/अ0प्र0–1–217/2010–75––श्री राम सिहांसन सिंह, तदेन कनीय अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, औरंगाबाद द्वारा अपने पदस्थापन काल में औरंगाबाद जिलान्तर्गत रफीगंज प्रखंड के अधीन सात पथों यथाः– 1. रफीगंज से बराही पथ, 2. कझपा भदवा पथ से भेटनिया पथ 3. बराही पथ से खरॉटी 4. रफीगंज से बलीगॉव पथ 5. भदवा शिवगंज से कझपा पथ 6. रफीगंज से गुरारू पथ 7. लट्टा रोड से करूणा वरूणा पथ का चल रहे योजनाओं में अनियमितता के लिए आरोप पत्र प्रपत्र 'क' गठित कर स्पष्टीकरण की मांग की गयी। इनसे प्राप्त स्पष्टीकरण की तकनीकी समीक्षा के दौरान स्व0 श्री सिंह को इस मामले में आरोप मुक्त कर दिया गया।

इस मामले में कार्यालय आदेश संख्या 285 सह–पठित ज्ञापांक 11913 दिनांक 08.11.2010 द्वारा तत्कालिक प्रभाव से निलंबित तथा कार्यालय आदेश संख्या 342 सह–पठित ज्ञापांक 17045 दिनांक 19.10.2012 द्वारा तत्कालिक प्रभाव से निलंबन से मुक्त किया गया।

अतः स्व0 श्री सिंह के निलंबन अवधि को कर्तव्य अवधि मानते हुए पूर्ण वेतन भुगतान की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

आदेश से,
शैलेन्द्र कुमार पाण्डेय, संयुक्त सचिव।

वाणिज्य–कर विभाग

अधिसूचना

28 मई 2015

सं० कौन/भी–117/2001–120/सी०–श्री ललित कुमार, (बि0 वि0 से0), वाणिज्य–कर पदाधिकारी, बक्सर अंचल, बक्सर के विरूद्ध मधेपुरा अंचल के पदस्थापनकाल में अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने, बाढ़ थाना कांड संख्या–62/2000 में मुख्य अभियुक्त रहने एवं मधेपुरा अंचल के अभिलेख गुम करने के आरोप में विभागीय अधिसूचना संख्या–285 दिनांक 08.03.2001 द्वारा तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए संकल्प संख्या–474/सी0, दिनांक 19.07.2001 द्वारा इनके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही चलायी गयी। जांच संचालन पदाधिकारी के पत्रांक 1/सी0, दिनांक 29.01.2003 द्वारा प्राप्त जांच प्रतिवेदन की समीक्षोपरान्त इससे असहमत होते हुए पुनः विभागीय संकल्प संख्या 290/सी0, दिनांक 04.08.2008 द्वारा पुर्नजाँच करायी गयी। इसी बीच, श्री कुमार को विभागीय अधिसूचना संख्या 376, दिनांक 16.07.2003 द्वारा निलंबन से मुक्त किया गया। जांच प्रतिवेदन में कुल 05(पाँच) आरोपों में से दो आरोप आंशिक रूप से प्रमाणित एवं एक आरोप आंशिक पूर्ण प्रमाणित पाए गए। एक आरोप के संबंध में जांच पदाधिकारी द्वारा मामला न्यायालय में लंबित होने के कारण कोई मंतव्य नहीं दिया गया, जबकि एक आरोप अप्रमाणित पाए गए, जिसकी सम्यक् समीक्षोपरान्त सक्षम अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा निम्नांकित लघुदंड संसूचित करने का निर्णय लिया गया हैः–

1. श्री कुमार को देय अगली वेतनवृद्धि की तिथि से 3(तीन) वार्षिक वेतनवृद्धियाँ असंचयात्मक प्रभाव से रोकी जाती है।
2. प्रस्ताव पर माननीय मंत्री, वाणिज्य–कर विभाग का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
(ह०) अस्पष्ट,वाणिज्य–कर आयुक्त–सह–प्रधान सचिव।

पथ निर्माण विभाग

अधिसूचनाएं

29 दिसम्बर 2014

सं0 निग/सारा–4 (पथ) आरोप (सी0ए0जी0)–41/12–12734(एस)––श्री अजय कुमार पाण्डेय, तत्कालीन कनीय अभियंता, पथ प्रमंडल, मोतिहारी सम्प्रति सहायक अभियंता, राष्ट्रीय उच्च पथ अवर प्रमंडल, भागलपुर के विरूद्ध पथ प्रमंडल, मोतिहारी के पदस्थापन काल में अलकतरा प्रकरण में सी0ए0जी0 से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर आरोप पत्र गठित करते हुए विभागीय संकल्प ज्ञापांक–3787 (एस) अनु0 दिनांक 15.06.12 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी। संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन पत्रांक–178 अनु0 दिनांक–01.03.14 में श्री पाण्डेय के विरूद्ध गठित 7 आरोपों में से आरोप संख्या–5 को आंशिक रूप से प्रमाणित तथा शेष सभी आरोपों को अप्रमाणित होने का मंतव्य दिया गया। संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन के आधार पर विभागीय पत्रांक–9460 (एस) अनु0 दिनांक 26.09.14 द्वारा श्री पाण्डेय से द्वितीय कारण पृच्छा की मांग की गई। श्री पाण्डेय ने अपने द्वितीय कारण–पृच्छा उत्तर पत्रांक–शून्य दिनांक 13.10.14 में मूल रूप में अंकित किया है कि आरोप संख्या–5 में किस आरोप के लिए इन्हें आंशिक रूप से दोषी बताया गया है इसका उल्लेख संचालन पदाधिकारी के मंतव्य में अंकित नहीं है। श्री पाण्डेय ने उक्त के आलोक में सभी आरोपों से मुक्त करते हुए मामले को संचिकास्त करने का आग्रह किया है।

2. श्री पाण्डेय से प्राप्त द्वितीय कारण पृच्छा के समीक्षोपरांत यह स्पष्ट हुआ कि संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन में मात्र आरोप संख्या–5 जो रु० 36,435 मूल्य के 8.675 एम0टी0 कम अलकतरा आपूर्ति करने के संबंध में है, में श्री पाण्डेय को आंशिक रूप से दोषी पाते हुए श्री पाण्डेय को निम्न दंड संसूचित किया जाता है :–

(क) इनके वेतन से रु० 36,435 (छत्तीस हजार चार सौ पैतीस रूपये) की वसूली एवं

(ख) संचयात्मक प्रभाव से दो वार्षिक वेतन वृद्धि पर रोक।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
(ह०) अस्पष्ट, उप–सचिव (निगरानी)।

18 दिसम्बर 2014

सं० निग/सारा–4 (पथ) आरोप–23/2011–12284 (एस)––मुख्यमंत्री सचिवालय से प्राप्त परिवाद पत्र के आलोक में गोपालगंज जिलान्तर्गत रघुनन्दनपुर से चमारी पट्टी पथ में कराये गये कार्य का कार्यपालक अभियंता, उड़नदस्ता प्रमंडल संख्या–1 द्वारा दिनांक 04.09.08 से 05.09.08 तक स्थल जाँच कर पत्रांक–364 अनु0 दिनांक 10.09.08 के माध्यम से अंतरिम जाँच प्रतिवेदन, पत्रांक–111 अनु0 दिनांक 06.08.09 के माध्यम से गुणवत्ता प्रतिवेदन एवं पत्रांक–182 अनु0 दिनांक 26.10.09

के माध्यम से विहित प्रपत्र में गुणवत्ता प्रतिवेदन विभाग को समर्पित किया गया जिसके समीक्षोपरांत पाई गई त्रुटियों :–

(i) पथ के कुल 5 (पाँच) स्थानों पर जी0एस0बी0 कार्य की मुटाई 33.50 एम0एम0 से 134.75 एम0एम0 तक पायी गई है। औसतन जी0एस0बी0 कार्य की मुटाई 86.38 एम0एम0 पायी गई है जबकि प्रावधान 225 एम0एम0 का है।

(ii) पथ में कराये गये डब्लू0बी0एम0 ग्रेड–III कार्य की जाँच कुल 20 (बीस) स्थानों पर जाँच पदाधिकारी द्वारा की गई। डब्लू0एम0बी0 ग्रेड–III कार्य की मुटाई 33.92 एम0एम0 से 114.50 एम0एम0 तक पायी गई है। औसतन डब्लू0बी0एम0 ग्रेड–III कार्य की मुटाई 59.90 एम0एम0 पायी गई है जबकि प्रावधान 75 एम0एम0 का है।

(iii) पथ के कुल 21 स्थानों पर कराये गये बी0यू0एस0जी0 कार्य की मुटाई 34.33 एम0एम0 से 90 एम0एम0 तक पायी गई है। औसतन बी0यू0एस0जी0 कार्य की मुटाई 50.57 एम0एम0 पायी गई है जबकि प्रावधान 75 एम0एम0 का है।

(iv) पथ के कि0मी0 1 में कराये गये डब्लू0बी0एम0 ग्रेड–III कार्य में प्रयुक्त एग्रीगेट औसतन 22.02 प्रतिशत ओभर साईज तथा औसतन 36.73 प्रतिशत अन्डर साईज पाया गया है।

(v) पथ के कि0मी0 1 में कराये गये बी0यू0एस0जी0 कार्य में प्रयुक्त एग्रीगेट औसतन 26.23 प्रतिशत ओभर साईज तथा औसतन 5.73 अन्डर साईज पाया गया है। बी0यू0एस0जी0 कार्य में प्रयुक्त अलकतरा की मात्रा 1.66 प्रतिशत पायी गई है जबकि विभागीय रूप से निर्धारित प्रावधान 1.93 प्रतिशत का है।

(vi) पथ के कि0मी0 1 में कराये गये एस0डी0बी0सी0 कार्य में प्रयुक्त अलकतरा की औसत मात्रा 3.59 प्रतिशत पायी गई है जबकि प्रावधान 5 प्रतिशत का है।

(vii) पथ के कि0मी0 2 में कराये गये डब्लू0बी0एम0 ग्रेड–III कार्य में प्रयुक्त एग्रीगेट औसतन 18.27 प्रतिशत ओभर साईज तथा औसतन 7.77 प्रतिशत अन्डर साईज पाया गया है।

(viii) पथ के कि0मी0 2 में कराये गये बी0यू0एस0जी0 कार्य में प्रयुक्त एग्रीगेट औसतन 18.38 प्रतिशत ओभर साईज तथा मात्र एक चलनी पर 3.43 प्रतिशत अन्डर साईज पाया गया है बी0यू0एस0जी0 कार्य में प्रयुक्त अलकतरा की औसत मात्रा 0.86 प्रतिशत पायी गई है जबकि प्रावधान विभागीय रूप से निर्धारित प्रावधान 1.93 प्रतिशत का है।

(ix) पथ के कि0मी0 2 में कराये गये एस0डी0बी0सी0 कार्य में प्रयुक्त अलकतरा की औसत मात्रा 4.04 प्रतिशत पायी गई है, जबकि प्रावधान 5 प्रतिशत का है।

(x) पथ में कराये गये एस0 डी0 बी0 सी0 कार्य की एफ0 डी0 डी0 तीन स्थानों पर क्रमशः 2.65gm/cc,2.0gm/cc पायी गई है। औसतन एफ0डी0डी0 2.20gm/cc पायी गई है जबकि प्रावधान 2.30gm/cc का है, के लिए श्री आलोक कुमार भगत, तत्कालीन सहायक अभियंता, पथ प्रमंडल, गोपालगंज सम्प्रति सहायक अभियंता, गुण नियंत्रण अवर प्रमंडल, हाजीपुर से विभागीय पत्रांक–13715 (एस) दिनांक 26.11.09 द्वारा स्पष्टीकरण की मांग की गयी। श्री भगत द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण उत्तर पत्रांक–शून्य दिनांक 27.05.10 के विभागीय समीक्षोपरांत स्वीकार योग्य नहीं पाते हुए श्री भगत के विरूद्ध विभागीय संकल्प ज्ञापांक–6694 (एस) अनु0 दिनांक 10.06.11 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी। संचालन पदाधिकारी के पत्रांक–3540 (अनु0) दिनांक 10.12.12 द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवदेन में संचालन पदाधिकारी द्वारा इनके विरूद्ध गठित 6 आरोपों में से आरोप संख्या–1 एवं 2 को अंशतः प्रमाणित एवं शेष को अप्रमाणित प्रतिवेदित किया गया। संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन की छाया प्रति संलग्न करते हुए विभागीय पत्रांक–1082 (एस) अनु0 दिनांक 12.02.13 द्वारा श्री भगत से द्वितीय कारण पृच्छा की गयी। श्री भगत ने अपने पत्रांक–शून्य दिनांक 27.02.13 द्वारा कारण पृच्छा उत्तर विभाग को समर्पित किया। प्राप्त द्वितीय कारण पृच्छा की तकनीकी समीक्षा की गयी जिसमें आलोच्य पथ से संबंधित उक्त कार्य की मुटाई में कमी पायी गयी जिसके लिए श्री भगत को दोषी पाया गया।

2. तदआलोक में सम्यक् विचारोपरांत सरकार के निर्णयानुसार श्री आलोक कुमार भगत, तत्कालीन सहायक अभियंता, पथ प्रमंडल, गोपालगंज सम्प्रति सहायक अभियंता, गुण नियंत्रण अवर प्रमंडल, हाजीपुर के स्पष्टीकरण को स्वीकार योग्य नहीं मानते हुए निम्न दंड संसूचित किया जाता है :–

(i) असंचयात्मक प्रभाव से एक वेतन वृद्धि पर रोक।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
(ह०) अस्पष्ट, उप–सचिव (निगरानी)।

---

8 दिसम्बर 2014

सं० निग/सारा–6(था0का0)–104/2010–11798(एस)—निगरानी अन्वेषण ब्यूरो द्वारा दर्ज निगरानी थाना कांड संख्या–54/10 में श्री अनिल कुमार सिन्हा, तत्कालीन सहायक अभियंता, पटना नगर निगम को प्राथमिक अभियुक्त बनाया गया। नगर विकास एवं आवास विभाग के पत्रांक–5433 दिनांक 14.09.10 से प्राप्त निगरानी अन्वेषण ब्यूरो के प्रतिवेदन के आलोक में विभागीय पत्रांक–3057 (एस) दिनांक 16.04.13 द्वारा श्री सिन्हा से कारण पृच्छा की मांग की गयी। श्री सिन्हा से प्राप्त कारण पृच्छा पर नगर विकास एवं आवास विभाग से प्राप्त मंतव्य के आलोक में श्री अनिल कुमार सिन्हा को सहायक

अभियंता, पटना नगर निगम के पदस्थापन काल में बरती गयी अनियमितताओं के लिए अधिसूचना संख्या–4396 (एस) दिनांक 04.06.13 द्वारा निलंबित करते हुए विभागीय संकल्प ज्ञापांक–4946 (एस) दिनांक 20.06.13 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित है।

2. श्री अनिल कुमार सिन्हा द्वारा जीवन निर्वाह भत्ता में बढ़ोतरी हेतु समर्पित अभ्यावेदन के अवलोकनोपरांत बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली के नियम 10 (1) (i) के तहत निलंबन की अवधि एक वर्ष से अधिक होने पर जीवन निर्वाह भत्ता में बढ़ोतरी किये जाने के प्रावधान के आलोक में श्री अनिल कुमार सिन्हा, सहायक अभियंता सम्प्रति निलंबित कार्यपालक अभियंता के जीवन निर्वाह भत्ता में सरकार द्वारा 15 प्रतिशत बढ़ोतरी का निर्णय लिया जाता है ।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
(ह०) अस्पष्ट, उप–सचिव (निगरानी)।

---

6 जनवरी 2015

सं0 निग/सारा–4 (पथ) आरोप–41/2014–91 (एस)––पथ प्रमंडल, पूर्णियाँ अन्तर्गत पूर्णियाँ–श्रीनगर पथ के कि0मी0 6 एवं 11 में कराये गये कार्य की जाँच कार्यपालक अभियंता, उड़नदस्ता प्रमंडल संख्या–2 द्वारा दिनांक 01.05.10 से 03.05.10 तक स्थल जाँच कर अपने पत्रांक–132 अनु0 दिनांक 18.05.10 द्वारा प्रारंभिक जाँच प्रतिवेदन एवं पत्रांक–215 अनु0 दिनांक 23.08.11 द्वारा समर्पित पूरक जाँच प्रतिवेदन में विभागीय समीक्षोपरांत पायी गयी निम्न त्रुटियों/अनियमितताओं यथा–(i) पथ के कि0मी0 6 में कराये गये SDBC कार्य में प्रयुक्त अलकतरा की औसत मात्रा 3.56 प्रतिशत पायी गयी है जबकि प्रावधान न्यूनतम 5 प्रतिशत का है। (ii) पथ के कि0मी0 11 में SDBC कार्य में प्रयुक्त अलकतरा की औसत मात्रा 3. 67 प्रतिशत पायी गयी है जबकि प्रावधान न्यूनतम 5 प्रतिशत का है के लिए श्री अरूण कुमार, तत्कालीन सहायक अभियंता, पथ प्रमंडल, पूर्णियाँ सम्प्रति सहायक अभियंता (अनुश्रवण), राष्ट्रीय उच्च पथ कार्य अंचल, पटना एवं प्रतिनियुक्त मुख्य अभियंता (अनुश्रवण) का कार्यालय, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना से विभागीय पत्रांक–2446 (ई) दिनांक 10.04.12 द्वारा स्पष्टीकरण की मांग की गयी।

2. श्री कुमार ने अपने स्पष्टीकरण पत्रांक–शून्य अनु0 दिनांक 23.08.12 में मूल रूप में अंकित किया है कि जाँच दल द्वारा कार्य समाप्ति के लगभग 6–7 माह के बाद सैम्पुल एकत्र कर जाँच किया गया, साथ ही Hot mix plant से स्थल पर mix लाने पर दूरी के कारण एवं स्थल पर चपाई के बाद एक लंबे अरसे के बाद लिये गये सैम्पुल से Bitumen content का आकलन सही नहीं है एवं समयातंराल के कारण उपयोग किये गये बिटुमेन में अंतर आना स्वाभाविक है।

3. श्री कुमार द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण के विभागीय/तकनीकी समीक्षोपरांत संशोधित मान्यदंड के आधार पर यह पाया गया कि उक्त पथ के कि0मी0 6 एवं 11 में कराये गये SDBC कार्य में प्रयुक्त अलकतरा की औसत मात्रा भी विभाग द्वारा निर्धारित टोलरेन्स से काफी कम पायी गयी।

4. उक्त तकनीकी समीक्षा के आलोक में श्री कुमार के स्पष्टीकरण को स्वीकार योग्य नहीं मानते हुए इन्हें निम्न दंड संसूचित करने का निर्णय लिया जाता है :–

(i) असंचयात्मक प्रभाव से दो वार्षिक वेतन वृद्धि पर रोक।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
(ह०) अस्पष्ट, उप–सचिव (निगरानी)।

---

8 दिसम्बर 2014

सं०निग/सारा–6(था0का0)–104/2010–11800(एस)––निगरानी अन्वेषण ब्यूरो द्वारा दर्ज निगरानी थाना कांड संख्या–54/10 में श्री अरविन्द प्रसाद, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, पटना नगर निगम को प्राथमिक अभियुक्त बनाया गया। नगर विकास एवं आवास विभाग के पत्रांक–5433 दिनांक 14.09.10 से प्राप्त निगरानी अन्वेषण ब्यूरो के प्रतिवेदन के आलोक में विभागीय पत्रांक–3327 (एस) दिनांक 26.04.13 द्वारा श्री प्रसाद से स्पष्टीकरण की मांग की गयी। श्री प्रसाद से प्राप्त स्पष्टीकरण पर नगर विकास एवं आवास विभाग से प्राप्त मंतव्य के आलोक में श्री अरविन्द प्रसाद को कार्यपालक अभियंता, पटना नगर निगम के पदस्थापन काल में बरती गयी अनियमितताओं के लिए अधिसूचना संख्या–4394 (एस) दिनांक 04.06.13 द्वारा निलंबित करते हुए विभागीय संकल्प ज्ञापांक–6064 (एस) दिनांक 26.07.13 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित है।

2. श्री अरविन्द प्रसाद द्वारा जीवन निर्वाह भत्ता में बढ़ोतरी हेतु समर्पित अभ्यावेदन के अवलोकनोपरांत बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली के नियम 10 (1)(i) के तहत निलंबन की अवधि एक वर्ष से

अधिक होने पर जीवन निर्वाह भत्ता में बढ़ोतरी किये जाने के प्रावधान के आलोक में श्री अरविन्द प्रसाद, कार्यपालक अभियंता सम्प्रति निलंबित के जीवन निर्वाह भत्ता में सरकार द्वारा 15 प्रतिशत बढ़ोतरी का निर्णय लिया जाता है।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
(ह०) अस्पष्ट, उप–सचिव (निगरानी)।

---

22 दिसम्बर 2014

सं0–निग/सारा–9(आरोप)–37/2009–12537(एस)––श्री अवधेश कुमार सिंह, तत्कालीन उप महाप्रबंधक (तकनीकी) तथा परियोजना निदेशक (सी0आई0यू) एन0एच0ए0आई0, धनबाद सम्प्रति निलंबित के विरूद्ध रिश्वत लेने के आरोप में सी0बी0आई0 द्वारा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा–7 के अन्तर्गत कांड संख्या–आर0सी0–21 (ए)/09 दर्ज किया गया। अनुसंधान के क्रम में आय से अधिक सम्पत्ति पाये जाने पर सी0बी0आई0 के आग्रह पर विशेष निगरानी थाना कांड संख्या–01/2010 दर्ज किया गया। श्री सिंह के विरूद्ध दर्ज दोनों प्राथमिकी के आधार पर प्रपत्र–'क' गठित कर संकल्प ज्ञापांक–2694 (एस) दिनांक 31.03.14 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित करने का आदेश निर्गत किया गया। इस क्रम में गठित आरोपों के संबंध में विभागीय पत्रांक–5800 (एस) अनु0 दिनांक 01.07.14 द्वारा श्री सिंह से स्पष्टीकरण की मांग की गयी। श्री सिंह ने पत्रांक–नि0/2014/17 दिनांक 10.07.14 द्वारा अपना स्पष्टीकरण समर्पित किया जिसमें उनके द्वारा अंकित किया गया है कि सी0बी0आई0 द्वारा दर्ज कांड संख्या–आर0सी0–21 (ए)/97 में माननीय विशेष न्यायाधीश के द्वारा उन्हें दोषमुक्त किया जा चुका है। अतः माननीय न्यायालय के द्वारा पारित आदेश के आलोक में विभाग द्वारा लगया गया आरोप अस्तित्वहीन हो जाता है। उनके द्वारा यह भी उल्लेख किया गया है कि सी0बी0आई0 के प्रतिवेदन में रु० 58,16,659 आय से अधिक परिसम्मति दिखायी गयी है। सी0बी0आई0 द्वारा अनुसंधान के क्रम में उनसे वेतन के अतिरिक्त किसी अन्य आय के श्रोत के संबंध में न तो किसी प्रकार की पृच्छा की गयी और न ही इस संबंध में स्थिति स्पष्ट करने हेतु समुचित अवसर प्रदान किया गया। उनके द्वारा अंकित किया गया है कि उक्त राशि उनके परिवार के अन्य सदस्यों की आय उनकी निजी साधन श्रोतों से अर्जित आय तथा विरासत में अर्जित सम्पति के आय से है।

2. श्री सिंह के स्पष्टीकरण के समीक्षोपरांत पाया गया कि आय से अधिक सम्पति मामले में दर्ज प्राथमिकी के संबंध में कोई उल्लेख नहीं किया गया है जिससे स्पष्ट है कि श्री सिंह के विरूद्ध चल रहा यह मामला सम्प्रति न्यायालय में विचाराधीन है। जहाँ तक Trap Case में CBI न्यायालय द्वारा दोष मुक्त किये जाने का प्रश्न है, इस संबंध में उल्लिखित करना है कि न्यायिक और विभागीय कार्यवाही अलग–अलग तथ्यों के आधार पर संचालित की जाती है। अतएव श्री सिंह के द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण पत्रांक–नि0/2014/17 दिनांक 10.07.14 को समीक्षोपरांत सरकार द्वारा अस्वीकृत करने का निर्णय लिया जाता है।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
(ह०) अस्पष्ट, उप–सचिव (निगरानी)।

---

26 दिसम्बर 2014

सं0 निग/सारा–1(पथ)–63/2012–टिप्पणी भाग–12712 (एस)––श्री कमल किशोर सिन्हा, तत्कालीन सहायक निदेशक, गुण नियंत्रण अवर प्रमंडल, पथ प्रमंडल, नवादा सम्प्रति सहायक निदेशक, प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान, पथ निर्माण विभाग, पटना द्वारा पथ प्रमंडल, नवादा के पदस्थापन काल के दौरान वारसलीगंज–पकरीवरावाँ पथ में कराये गये कार्य की जाँच कार्यपालक अभियंता, उड़नदस्ता प्रमंडल संख्या–1 द्वारा किया गया तथा पत्रांक–26 अनु0 दिनांक 04.02.10 द्वारा समर्पित प्रारंभिक जाँच प्रतिवेदन एवं पत्रांक–131 (अनु0) दिनांक 20.05.10 द्वारा समर्पित गुणवत्ता प्रतिवेदन के समीक्षोपरांत उक्त पथ के कि0मी0 4 में कराये गये बी0एम0 कार्य में प्रयुक्त अलकतरा की औसत मात्रा प्रावधानित न्यूनतम 3.30 प्रतिशत के विरूद्ध 2.44 प्रतिशत पाये गये एक मात्र आरोप के लिए विभागीय संकल्प ज्ञापांक–1668 (एस) अनु0 दिनांक 01.03.13 द्वारा श्री सिन्हा के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी।

2. संचालन पदाधिकारी के पत्रांक–5441 (ई) अनु0 दिनांक 30.08.13 द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन में श्री सिन्हा के विरूद्ध गठित एक मात्र आरोप को अप्रमाणित प्रतिवेदित किया गया। जाँच प्रतिवेदन की विभागीय समीक्षा में संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन के समीक्षोपरांत पाया गया कि विभागीय कार्यवाही के प्रतिवेदन में यह अंकित है कि जाँचफल तत्कालीन प्रभारी सहायक अभियंता, श्री रामचन्द्र पासवान से हस्ताक्षरित है। जब गुण नियंत्रण के प्रभारी श्री सिन्हा थे जो जाँचफल पर उनका हस्ताक्षर होना चाहिए था। जाँचफल पर हस्ताक्षर नहीं होना श्री सिन्हा के द्वारा स्पष्ट नहीं किया गया। साथ हीं, जाँचाधीन कार्य श्री सिन्हा के पदस्थापन अवधि में ही हुआ तथा किया गया कार्य त्रुटिपूर्ण पाया गया। इस आधार पर संचालन पदाधिकारी के मंतव्य से असहमत होते हुए विभागीय पत्रांक–1456 (एस) दिनांक 20.02.14 द्वारा श्री सिन्हा से द्वितीय काराण पृच्छा की गयी।

3. श्री सिन्हा के द्वारा अपने पत्रांक–शून्य दिनांक 07.03.14 द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा उत्तर की विभागीय समीक्षोपरांत निम्न दंड संसूचित किया गया :–

(i) इनकी दो वार्षिक वेतन वृद्धि पर असंचयात्मक प्रभाव से रोक लगायी जाती है,

(ii) वर्ष 2008–09 एवं 2009–10 के लिए निन्दन।

4. श्री सिन्हा ने उपरोक्त दंडादेश के विरूद्ध अपने पत्रांक–शून्य दिनांक 25.11.14 द्वारा पुनर्विलोकन अर्जी समर्पित किया। श्री सिन्हा द्वारा समर्पित पुनर्विलोकन अर्जी की विभागीय समीक्षा में पाया गया कि गुणवत्ता जाँच प्रतिवेदन, कार्य अवर प्रमंडल के सहायक अभियंता, रामचन्द्र पासवान द्वारा हस्ताक्षरित है तथा यह प्रतिवेदन किसी कार्यालय से निर्गत नहीं है बल्कि पत्रांक के जगह पर कैम्प अंकित कर दिनांक 06.12.09 की तिथि में निर्गत है। इस प्रकार श्री सिन्हा, सहायक निदेशक, गुण नियंत्रण के रूप में इनके द्वारा गुणवत्ता प्रतिवेदन पर न हस्ताक्षर किया गया और न ही उनके कार्यालय से उक्त प्रतिवेदन निर्गत किया गया।

5. तदआलोक में श्री कमल किशोर सिन्हा, तत्कालीन सहायक निदेशक, गुण नियंत्रण अवर प्रमंडल, पथ प्रमंडल, नवादा सम्प्रति सहायक निदेशक, प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान, पथ निर्माण विभाग, पटना द्वारा समर्पित पुनर्विलोकन अर्जी दिनांक 25.11.14 को स्वीकार योग्य पाते हुए उनके विरूद्ध पूर्व में निर्गत दंडादेश अधिसूचना संख्या–10392 (एस) दिनांक 28. 10.14 को निरस्त किया जाता है।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
(ह०) अस्पष्ट, उप–सचिव (निगरानी)।

---

13 अप्रील 2015

सं० निग/सारा–6द0वि0(मुक0)–36/2012–3293 (एस)—श्री कामेश्वर प्रसाद, तत्कालीन सहायक अभियंता, एन0आर0ई0पी0 जहानाबाद सम्प्रति सेवानिवृत के विरूद्ध एन0आर0ई0पी0 जहानाबाद के पदस्थापन काल में बरती गई अनियमितता के लिए विभागीय संकल्प ज्ञापांक–498 (एस) दिनांक 19.01.2002 के द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गई थी।

2. विभागीय कार्यवाही में संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन के समीक्षोपरान्त सरकार के आदेशानुसार पाई गई त्रुटियों के लिए इन्हें निलम्बन से मुक्त करते हुए अधिसूचना संख्या–9105 (एस) दिनांक 03.08.2006 द्वारा निम्न दंड संसूचित किया गया :–

(i) श्री प्रसाद को निदन्न की सजा दी जाती है ।

(i) निलम्बन अवधि में जीवन निर्वाह भत्ता के अतिरिक्त कुछ भे देय नहीं होगा लेकिन अन्य सभी प्रयोजनार्थ सह कर्तव्य अवधि मानी जायेगी ।

3. श्री प्रसाद, सहायक अभियंता द्वारा दंडादेश के विरूद्ध दायर रिट याचिका सं0–सी0डब्लु0जे0सी0 सं0–13331/2006 में दिनांक 13.02.2008 को पारित न्यायादेश के अनुपालन में विभागीय अधिसूचना सं0–6576 (एस) दिनांक 15.05.2008 द्वारा पूर्व में निर्गत दंडादेश को निरस्त किया गया एवं विभागीय पत्रांक–8578 (एस) अनु0 दिनांक 30.06.2008 द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा की मांग की गई। दिनांक 08.09.2008 के पत्र द्वारा श्री प्रसाद से प्राप्त द्वितीय कारण पृच्छा के समीक्षोपरान्त यह पाया गया कि :–

(क) कनीय अभियंता द्वारा कराये गये कार्यों के पर्यवेक्षण एवं कराये गये कार्यों के समय–समय कार्यान्वयन पर नियंत्रण रखना सहायक अभियंता का दायित्व है।

(ख) बिहार लोक निर्माण संहिता के नियम–49 में यह स्पष्ट रूप से अंकित है (The division is divided into subdivision in charge of subdivisional officers, who may be Assistant Engineers and overseers of the Subordinate Engineering service and who are responsible to the Executive Engineer for the management and execution of works within their subdivisions) जो सहायक अभियंता के दायित्व को पूर्णतः परिभाषित करता है।

(ग) योजनाओं के कार्यान्वयन तत्संबंधी मापी पुस्त, योजनाओं में प्रयुक्त सामग्रियों के बारे में बहुत सारे प्रावधान बिहार लोक निर्माण संहिता/बिहार लोक निर्माण लेखा संहिता में है। मापी पुस्तिका के बारे में बिहार लोक निर्माण संहिता का नियम 244 विशेष रूप से मापी पुस्तिका को अत्यन्त महत्वपूर्ण अभिलेख मानते हुए सभी तरह के लेखा एवं सामग्रियों को मापी के पश्चात इसमें अंकित करने की बात लिखी गई है।

(घ) बिहार लोक निर्माण लेखा संहिता के अध्याय–7 में एवं नियम–109 से 114 में सामग्रियों के अर्जन, अभिरक्षा, वितरण एवं उठाव की प्रक्रिया अंकित है, जिसमें सड़क के निर्माण एवं अन्य निर्माण में प्रयोग होने वाले सामग्रियों का भी उल्लेख है।

(ड़) इसी प्रकार अध्याय–21 के नियम–506 से 511 तक में अनुमंडल पदाधिकारियों द्वारा संधारित की जाने वाली लेखा विवरणी का भी विस्तृत उल्लेख है, जिसमें चालू निर्माण कार्य/कतिपय सही सामग्रियों सहित निर्माण सार का मासिक विवरणी भी अनुमंडल पदाधिकारी के स्तर से दिया जाना शामिल है।

(च) इसी प्रकार ली गयी अग्रिम की राशि मापी पुस्तिका एवं योजनाओं के कार्यान्वयन के संबंध में सरकार द्वारा कतिपय निर्देश भी जारी किये गये हैं–पथ निर्माण विभाग का पत्रांक–4053 दिनांक 30.07.92, पत्रांक–2523 दिनांक 01.08.96, पत्रांक–2347 दिनांक 31.12.83, पत्रांक–3557 दिनांक 11.10.80, पत्रांक–975 दिनाक–21.02.83 एवं समय–समय पर निर्गत अन्य प्रावधानों में भी अंकित किया गया है। सहायक अभियंता द्वारा लोक निर्माण लेखा संहिता की कंडिका–231 एवं 232 के अनुरूप सभी स्तर के पदाधिकारियों को मापी पुस्त एवं विषयों की नियमानुसार जाँच कर लें।

4. अतएव उपर्युक्त कंडिका में अंकित तथ्यों के आलोक में श्री प्रसाद से प्राप्त द्वितीय कारण पृच्छा उत्तर को अस्वीकृत करते हुए प्रमाणित आरोपों को दृष्टिगत कर सरकार के निर्णयानुसार विभागीय अधिसूचना संख्या–8973 (एस) दिनांक 19.08.09 द्वारा निम्न दंड संसूचित किया गया :–

(i) निन्दन की सजा जो वर्ष–1999–2000 के लिए मान्य होगा,

(ii) असंचयात्मक प्रभाव से दो वेतन वृद्धि पर रोक।

साथ ही निलंबन अवधि में उन्हें मात्र जीवन निर्वाह भत्ता के अतिरिक्त कुछ भी देय नहीं होगा, जबकि अन्य प्रयोजनार्थ उसे कर्तव्य पर बितायी गयी अवधि के रूप में परिगणित की जा सकेगी।

5. इसी मामले में श्री प्रसाद द्वारा दायर अवमाननावाद संख्या–4571/2012 में विभाग की ओर से वस्तुस्थिति अंकित करते हुए कारण पृच्छा दायर किया गया, जिसे दिनांक 09.04.14 को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अवमाननावाद की श्रेणी में मानते हुए निरस्त कर दिया गया। फलतः पूरे मामले के समीक्षोपरांत पाया गया कि श्री प्रसाद के विरूद्ध निर्गत दंडादेश को निरस्त किया जाना ही एक मात्र विकल्प है। अतएव सरकार के निर्णयानुसार विभागीय अधिसूचना संख्या–3662 (एस) दिनांक 09.05.14 द्वारा विभागीय अधिसूचना संख्या–8973 (एस) दिनांक 19.08.09 को निरस्त किया गया।

6. श्री प्रसाद के आवेदन दिनांक 17.12.14 द्वारा निलंबन अवधि का जीवन यापन भत्ता के अलावा पूर्ण वेतन देने के किये गये अनुरोध के समीक्षोपरांत एवं सरकार के निर्णयानुसार इनकी निलंबन अवधि दिनांक 22.06.2000 से दिनांक 02.08.2006 तक के लिए पूर्ण वेतन एवं भत्ते के भुगतान (निलंबन अवधि के लिए पूर्व में किये गये सभी प्रकार के भुगतान को घटाकर) करने का आदेश दिया जाता है।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
(ह०) अस्पष्ट, उप–सचिव (निगरानी)।

---

24 दिसम्बर 2014

सं० निग/सारा–1(पथ) आ0अ0–09/2014–12656(एस)—श्री लक्ष्मी कान्त पटेल, कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, हिलसा, नालन्दा के विरूद्ध आर्थिक अपराध ईकाई, बिहार, पटना के द्वारा आय के ज्ञात स्रोतो से अधिक सम्पत्ति भ्रष्ट क्रियाकलापों के द्वारा अर्जित करने के लिए आर्थिक अपराध थाना कांड सं0–18/14 दिनांक 19.03.14 धारा 13 (2) सहपठित धारा 13 (1) (ई) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के अन्तर्गत दर्ज किया गया तथा विभागीय अधिसूचना संख्या–8177 (एस) दिनांक 27.08.14 द्वारा श्री पटेल को निलंबित किया गया एवं संकल्प ज्ञापांक–8724 (एस) अनु0 दिनांक 11.09.14 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी।

2. श्री पटेल, कार्यपालक अभियंता (निलंबित), अभियंता प्रमुख का कार्यालय, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना ने अपने आवेदन दिनांक 26.09.14 द्वारा विभागीय कार्यवाही को स्थगित करते हुए निलंबन से मुक्त करने का अनुरोध किया है। श्री पटेल के द्वारा अपने आवेदन पत्र में अंकित किया गया है कि एक ही मामले में फौजदारी एवं विभागीय कार्यवाही संचालित नहीं की जा सकती है।

3. कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के पत्रांक–3/एम–162/5–का0–2324 दिनांक 10.07.07 में प्रावधानित है कि जब किसी पदाधिकारी/कर्मचारी पर आपराधिक कदाचारों में लिप्त होने के कारण भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम एवं भारतीय दंड विधान के तहत फौजदारी मुकदमा किया जाय साथ हीं साथ समुचित तथ्यों पर आधारित आरोप पत्र गठित कर विभागीय कार्यवाही भी प्रारंभ की जाय।

4. दर्ज प्राथमिकी में आय के ज्ञात श्रोत से अधिक सम्पति पाये जाने के आरोप में श्री पटेल के विरूद्ध प्रपत्र–'क' गठित कर विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी है। अतएव श्री पटेल द्वारा समर्पित अभ्यावेदन दिनांक 26.09.14 को मान्य नहीं पाते हुए अस्वीकृत किया जाता है।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
(ह०) अस्पष्ट, उप–सचिव (निगरानी)।

---

9 अप्रील 2015

सं० निग/सारा–उ0बि0भ0 (लोका)–03/12–3236 (एस)––श्री महेश चौधरी, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, सुपौल सम्प्रति सेवानिवृत, काली स्थान के निकट, लालूचक, पो0–इशाकचक, भागलपुर के विरूद्ध भवन प्रमंडल, सुपौल के पदस्थापन काल में ग्राम पंचायत निर्मली के हटवरिया ग्राम में उप स्वास्थ्य केन्द्र भवन का निर्माण कार्य में बरती गयी अनियमितता के लिए विभागीय संकल्प ज्ञापांक–817 (एस) अनु0 दिनांक 01.02.13 द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम–17 के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी। श्री चौधरी के दिनांक 30.09.08 को सेवानिवृत हो जाने के फलस्वरूप संकल्प शुद्धि पत्र ज्ञापांक–3623 (एस) दिनांक 08.05.13 द्वारा संकल्प ज्ञापांक–817 (एस) अनु0 दिनांक 01.02.13 को आंशिक रूप से संशोधित करते हुए उक्त विभागीय कार्यवाही को बिहार पेंशन नियमावली के नियम–43 (बी) के अन्तर्गत सम्परिवर्तित किया गया।

2. संचालित विभागीय कार्यवाही में संचालन पदाधिकारी के पत्रांक–542 अनु0 दिनांक 24.03.14 द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन में श्री चौधरी के विरूद्ध गठित कुल 4 आरोपों में से आरोप संख्या–1 एवं 3 को आंशिक रूप से प्रमाणित एवं आरोप संख्या–2 एवं 4 को अप्रमाणित माना है। संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन के समीक्षोपरांत विभागीय पत्रांक–4522 (एस) दिनांक 03.06.14 द्वारा प्रमाणित पाये गये आरोपों के आलोक में श्री महेश चौधरी से द्वितीय कारण पृच्छा की गयी तथा स्मार पत्रांक–5944 (एस) दिनांक 03.07.14 द्वारा स्मारित भी किया गया। श्री चौधरी ने समर्पित अभ्यावेदन दिनांक 12.07.14 में स्वयं को गंभीर बीमारी से पीड़ित होने तथा चलने–बैठने में असमर्थ बताते हुए द्वितीय कारण पृच्छा प्रत्युत्तर समर्पित करने हेतु 2 माह का समय देने का अनुरोध किया। श्री चौधरी से द्वितीय कारण पृच्छा प्रत्युत्तर अप्राप्त रहने तथा सम्पूर्ण प्रकरण के समीक्षोपरांत श्री चौधरी से 1,42,230.00 आर्थिक क्षति के रूप में वसूली हेतु उनके पेंशन से 5 वर्ष तक 10 प्रतिशत राशि की कटौती के दंड प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार (माननीय मुख्यमंत्री महोदय) का अनुमोदन प्राप्त किया गया।

3. तदआलोक में विभागीय पत्रांक–9474 (एस) अनु0 दिनांक 26.09.14 द्वारा अनुमोदित दंड प्रस्ताव पर बिहार लोक सेवा आयोग से सहमति/परामर्श की अपेक्षा की गयी। बिहार लोक सेवा आयोग के पत्रांक–2475 दिनांक 20.01.15 से प्राप्त परामर्श में श्री चौधरी के विरूद्ध गठित आरोपों के परिपेक्ष्य में प्रस्तावित दंड अनुपातिक नहीं बताते हुए दंड प्रस्ताव से असहमति व्यक्त की गयी।

4. बिहार लोक सेवा आयोग से प्राप्त परामर्श/मंतव्य में प्रस्तावित दण्ड को आरोपों के परिप्रेक्ष्य में अनुपातिक नहीं मानने के संबंध में कोई कारण अंकित नहीं किया गया है। फलतः बिहार लोक सेवा आयोग से प्राप्त परामर्श/मंतव्य नियमानुसार मान्य नहीं है। अतएव सरकार के निर्णयानुसार श्री महेश चौधरी, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, सुपौल सम्प्रति सेवानिवृत, काली स्थान के निकट, लालूचक, पो0–इशाकचक, भागलपुर के पेंशन से 5 वर्ष तक 10 प्रतिशत राशि की कटौती करने का आदेश दिया जाता है।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
(ह०) अस्पष्ट, उप–सचिव (निगरानी)।

---

6 जनवरी 2015

सं0 निग/सारा–4 (पथ) आरोप–41/2014–93 (एस)––पथ प्रमंडल, पूर्णियाँ अन्तर्गत पूर्णियाँ–श्रीनगर पथ के कि0मी0 6 एवं 11 में कराये गये कार्य की जाँच कार्यपालक अभियंता, उड़नदस्ता प्रमंडल संख्या–2 द्वारा दिनांक 01.05.10 से 03.05.10 तक स्थल जाँच कर अपने पत्रांक–132 अनु0 दिनांक 18.05.10 द्वारा प्रारंभिक जाँच प्रतिवेदन एवं पत्रांक–215 अनु0 दिनांक 23.08.11 द्वारा समर्पित पूरक जाँच प्रतिवेदन में विभागीय समीक्षोपरांत पायी गयी निम्न त्रुटियों/अनियमितताओं यथा–(i) पथ के कि0मी0 6 में कराये गये SDBC कार्य में प्रयुक्त अलकतरा की औसत मात्रा 3.56 प्रतिशत पायी गयी है जबकि प्रावधान न्यूनतम 5 प्रतिशत का है। (ii) पथ के कि0मी0 11 में SDBC कार्य में प्रयुक्त अलकतरा की औसत मात्रा 3. 67 प्रतिशत पायी गयी है जबकि प्रावधान न्यूनतम 5 प्रतिशत का है के लिए श्री नवल किशोर शरण, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, पूर्णियाँ सम्प्रति कार्यपालक अभियंता, पथ निर्माण विभाग, पूर्व बिहार अंचल, भागलपुर से विभागीय पत्रांक–2448 (ई) दिनांक 10.04.12 द्वारा स्पष्टीकरण की मांग की गयी।

2. श्री शरण ने अपने स्पष्टीकरण पत्रांक–1201 अनु0 दिनांक 18.08.12 में मूल रूप में अंकित किया है कि जाँच दल द्वारा कार्य समाप्ति के लगभग 6–7 माह के बाद सैम्पुल एकत्र कर जाँच किया गया, साथ ही Hot mix plant से स्थल पर

mix लाने पर दूरी के कारण एवं स्थल पर चपाई के बाद एक लंबे अरसे के बाद लिये गये सैम्पुल से Bitumen content का आकलन सही नहीं है एवं समयातंराल के कारण उपयोग किये गये बिटुमेन में अंतर आना स्वाभाविक है।

3. श्री शरण द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण के विभागीय/तकनीकी समीक्षोपरांत संशोधित मान्यदंड के आधार पर यह पाया गया कि उक्त पथ के कि0मी0 6 एवं 11 में कराये गये SDBC कार्य में प्रयुक्त अलकतरा की औसत मात्रा भी विभाग द्वारा निर्धारित टोलरेन्स से काफी कम पायी गयी।

4. उक्त तकनीकी समीक्षा के आलोक में श्री शरण के स्पष्टीकरण को स्वीकार योग्य नहीं मानते हुए इन्हें निम्न दंड संसूचित करने का निर्णय लिया जाता है :–

(i) असंचयात्मक प्रभाव से एक वार्षिक वेतन वृद्धि पर रोक।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
(ह०) अस्पष्ट, उप–सचिव (निगरानी)।

---

10 फरवरी 2015

सं0 निग/सारा–4(पथ)–22/2014–1223 (एस)––श्री परमेश्वर प्रसाद यादव, तत्कालीन अधीक्षण अभियंता, रूपांकण–सह–यांत्रिक, गंगा पुल परियोजना सम्प्रति सेवानिवृत के विरूद्ध गलत जन्म तिथि के आधार पर सेवानिवृत्ति की वास्तविक तिथि के पश्चात भी सेवा में बने रहने के आरोप के संबंध में प्राप्त परिवाद के आलोक में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना एवं संबंधित उच्च विद्यालय से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर विभागीय आदेश–सहपठित ज्ञापांक–8932 (एस) दिनांक 21.11.13 द्वारा श्री यादव को दिनांक 31.12.12 के प्रभाव से सेवानिवृत्त किया गया तथा उक्त आरोप के लिए बिहार पेंशन नियमावली के नियम–43 (बी) के अन्तर्गत विभागीय संकल्प ज्ञापांक–9967 (एस) अनु0 दिनांक 30.12.13 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी।

2. अभियंता प्रमुख–सह–संचालन पदाधिकारी, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक–43 (यांत्रिक) अनु0 दिनांक 25.04.14 द्वारा श्री यादव के विरूद्ध आरोप के संदर्भ में जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया जिसके समीक्षोपरांत गलत जन्म तिथि के आधार पर सेवानिवृत्ति के पश्चात भी सेवा में बने रहने का आरोप प्रमाणित पाया गया। संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन के समीक्षोपरांत संचालन पदाधिकारी के मंतव्य से सहमत होते हुए श्री यादव से विभागीय पत्रांक–7581 (एस) अनु0 दिनांक 11.08.14 द्वारा जाँच प्रतिवेदन की छाया प्रति संलग्न करते हुए द्वितीय कारण पृच्छा की गयी।

3. श्री यादव द्वारा पत्रांक–09 दिनांक 22.08.14 द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा समर्पित किया गया जिसमें सारतः श्री यादव द्वारा अपने को निर्दोष बताया गया। श्री यादव द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा उत्तर के समीक्षोरांत पाया गया कि गलत जन्म तिथि के आधार पर सेवानिवृत्ति की वास्तविक तिथि के पश्चात भी सेवा में बने रहना एक गंभीर आरोप है। संचालन पदाधिकारी द्वारा दिये गये जाँच प्रतिवेदन को सत्य एवं सम्यक् होने के उपरांत सरकार द्वारा "पेंशन से स्थायी रूप से 10 प्रतिशत राशि की कटौती" के दंड पर निर्णय लिया गया।

4. निर्णित दंड पर विभागीय पत्रांक–9491 (एस) अनु0 दिनांक 29.09.14 द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग, बेली रोड, पटना से सहमति/परामर्श की मांग की गयी। बिहार लोक सेवा आयोग के पत्रांक–2476 दिनांक 20.01.15 द्वारा विभागीय दंड प्रस्ताव से सहमति व्यक्त की गई है।

5. अतएव पूरे मामले के समीक्षोपरांत श्री परमेश्वर प्रसाद यादव, तत्कालीन अधीक्षण अभियंता, रूपांकण–सह–यांत्रिक, गंगा पुल परियोजना सम्प्रति सेवानिवृत को निम्न दंड संसूचित किया जाता है :–

(i) "पेंशन से स्थायी रूप से 10 प्रतिशत राशि की कटौती" का दंड दिया जाता है।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
सरकार के उप–सचिव (निगरानी),

---

9 मार्च 2015

सं0 निग/सारा–I (ग्रा0)–24/05–2117(एस)––श्री प्रमोद चन्द्र मुन्नु, तत्कालीन सहायक अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल नरकटियागंज सम्प्रति सहायक अभियंता, जिला शहरी विकास अभिकरण, मुजफ्फरपुर को पुपरी नानपुर प्रखंड सीतामढ़ी के पदस्थापन काल में विकास एवं निर्माण कार्यों में की गयी घोर अनियमितता के लिए विभागीय अधिसूचना संख्या–3711 (एस) दिनांक 03.04.06 द्वारा निलंबित कर विभागीय संकल्प ज्ञापांक–6851 (एस) डब्लू ई0 दिनांक 01.07.06 द्वारा इनके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गई।

2. विभागीय कार्यवाही में संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन में इनके विरूद्ध गठित कुल छः आरोपों में से आरोप सं0–1 एवं 2 को प्रमाणित तथा आरोप सं0–3 को अंशतः प्रमाणित पाया गया। अतः जाँच प्रतिवेदन के आधार पर प्रमाणित आरोप/अंशतः प्रमाणित आरोप के लिए विभागीय पत्रांक–13738 (एस) डब्लू0ई0 दिनांक 24.10.08 द्वारा इनसे

द्वितीय कारण पृच्छा की माँग की गयी। इनसे प्राप्त द्वितीय कारण पृच्छा उत्तर दिनांक 30.04.09 की तकनीकी समीक्षा तत्कालीन अभियंता प्रमुख द्वारा की गई एवं आरोप सं0–3 के लिए प्राक्कलन बनाने में long section एवं cross section तथा मिट्टी की गणना नहीं किए जाने के कारण इनको दोषी पाया गया। अंततः अभियंता प्रमुख ने इन्हें इस अनियमितता के लिए दोषी पाया और विभागीय अधिसूचना सं0–3354(एस) दिनांक 17.03.11 द्वारा इन्हें निलंबन मुक्त करते हुए इनकी दो वार्षिक वेतन वृद्धियाँ असंचयात्मक प्रभाव से रोकने तथा निलम्बन अवधि के लिए जीवन निर्वाह भत्ता के अतिरिक्त और कुछ भी देय नहीं होने, किन्तु इसे पेंशन प्रयोजनार्थ कर्त्तव्य पर बितायी गई अवधि माने जाने का दण्ड अधिसूचित किया गया।

3. उक्त दंडादेश के विरूद्ध श्री मुन्नु द्वारा समर्पित अपील आवेदन दिनांक 06.05.11 के समीक्षोपरांत एवं सरकार के निर्णयनुसार इनके अपील आवेदन को विभागीय पत्रांक–8677 (एस) दिनांक 01.08.11 द्वारा अस्वीकृत किया गया। पुनः इनके आवेदन दिनांक 20.07.12 एवं 19.07.12 के समीक्षोपरांत विभागीय पत्रांक–12835 (एस) दिनांक 13.12.12 द्वारा उक्त आवेदनों को अस्वीकृत किया गया।

4. सी0डब्लू0जे0सी0सं0–21446/2012 प्रमोद चन्द्र मुन्नु बनाम बिहार राज्य एवं अन्य में दिनांक 13.02.14 को पारित आदेश के अनुपालन में विभागीय अधिसूचना संख्या–6016 (एस) दिनांक 07.07.14 द्वारा अधिसूचना संख्या–3354 (एस) दिनांक 17.03.11 द्वारा संसूचित दंड कंडिका–4(ii) को निरस्त करते हुए उक्त न्यायादेश में दिये गये निदेश के आलोक में इनसे निलंबन की अवधि दिनांक 03.04.06 से 16.03.11 तक के विनियमन के संबंध में अलग से कारण पृच्छा किए जाने का आदेश संसूचित किया गया।

5. तदआलोक में अभियंता प्रमुख द्वारा की गयी समीक्षा में प्रमाणित पाये गये आरोप संख्या–3 के आधार पर विभागीय पत्रांक–6208 (एस) दिनांक 10.07.14 द्वारा निलंबन की अवधि के विनियमन के संबंध में इनसे कारण पृच्छा की मांग की गयी। श्री मुन्नु के पत्रांक–शून्य दिनांक 29.08.14 द्वारा निलंबन अवधि के विनियमन के संबंध में समर्पित कारण पृच्छा उत्तर के समीक्षोपरांत पाया गया कि इनके आवेदन पत्र में उन्हीं बातों की पुनरावृति की गयी है जिनका उल्लेख विभागीय कार्यवाही के संचालन के दौरान एवं द्वितीय कारण पृच्छा उत्तर में किया गया था। इनके विरूद्ध निर्गत दंडादेश पर बिहार लोक सेवा आयोग की सहमति भी प्राप्त है। बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम–11 (3) में उपबंधित है कि–"जहाँ अनुशासनिक प्राधिकार की राय हो कि निलंबन पूर्णरूपेण अनुचित था तो सरकारी सेवक को इस नियम के उप नियम–8 के उपबंधों के अधीन वैसे पूरे वेतन तथा भत्ते का भुगतान किया जाएगा, जिसके लिए वे निलंबित नहीं किये जाने पर हकदार होता"। प्रस्तुत मामले में श्री मुन्नु का निलंबन पूर्णतः औचित्यपूर्ण था क्योंकि विभिन्न योजनाओं में इनके द्वारा की गयी अनियमितताओं के लिए ही दंडादेश निर्गत किया गया है।

6. अतएव सरकार के निर्णयानुसार इनकी निलंबन की अवधि दिनांक 03.04.06 से 16.03.11 तक के लिए जीवन निर्वाह भत्ता के अतिरिक्त और कुछ भी देय नही होगा, किन्तु इस निलंबन अवधि को पेंशन प्रयोजनार्थ कर्त्तव्य पर बिताई गयी अवधि मानी जायेगी।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
(ह०) अस्पष्ट, उप–सचिव (निगरानी)।

---

9 अप्रील 2015

सं0 निग/सारा–9 (आरोप)–96/10–3231 (एस)––श्री राधा कृष्ण प्रसाद, तत्कालीन सहायक अभियंता, पथ प्रमंडल, हजारीबाग सम्प्रति निलंबित अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव का कार्यालय, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को उनके विरूद्ध सी0बी0आई0 कांड संख्या–आर0सी0–13(ए)/09 (आर0) में विशेष न्यायाधीश सी0बी0आई0 न्यायालय द्वारा उनके उपस्थित होने के निर्गत सम्मन आदेश के बावजूद न्यायालय आदेश की अवहेलना करने के आरोप में बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम–9 (1)(ग) के अन्तर्गत विभागीय अधिसूचना संख्या–4131 (एस) दिनांक 07.04.11 द्वारा निलंबित किया गया था एवं दिनांक 03.01.14 को प्रपत्र–'क' गठित करते हुए विभागीय संकल्प ज्ञापांक–228 (एस) दिनांक 10.01.14 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी। श्री प्रसाद के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही में संचालन पदाधिकारी का जाँच प्रतिवेदन अप्राप्त है।

2. सी0बी0आई0 कांड संख्या–आर0सी0–13(ए)/09 (आर0) एवं सी0बी0आई0 कांड संख्या–आर0सी0–11(ए)/09 (आर0) दोनों ही कांडों में विशेष न्यायाधीश, सी0बी0आई0, राँची द्वारा नियमित जमानत दे दी गयी है। अतः बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम–9 (7) में विहित प्रावधान के आलोक में सरकार के निर्णयानुसार श्री प्रसाद को तात्कालिक प्रभाव से निलंबन से मुक्त किया जाता है :–

(क) इनके विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही यथावत चलती रहेगी तथा निलंबन अवधि के विनियमन के संबंध में विभागीय कार्यवाही की समाप्ति के पश्चात् निर्णय लिया जायेगा।

(ख) निलंबन से मुक्ति के उपरांत श्री प्रसाद, सहायक अभियंता, पथ निर्माण विभाग, मुख्यालय में पदस्थापन हेतु योगदान करेंगे।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
(ह०) अस्पष्ट, उप–सचिव (निगरानी)।

---

20 फरवरी 2015

सं० निग/सारा–4 (पथ) आरोप–51/2014–1640 (एस)––श्री राम भरत प्रसाद, कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल संख्या–2, मुजफ्फरपुर को स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल संख्या–2, मुजफ्फरपुर पदस्थापन काल में लंबी अवधि से अपने कर्त्तव्य से अनुपस्थित रहने, विभागीय निर्देशों का अनुपालन नहीं करने, कार्य में रूचि नहीं लेने एवं कार्य–कलाप संतोषप्रद नहीं रहने के लिए इन्हें बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 9 (1) (क) के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है।

2. निलंबन अवधि के दौरान बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 10 के अध्याधीन शर्तों के तहत इन्हें जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।

3. निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह विशेष सचिव का कार्यालय, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना निर्धारित किया जाता है।

4. इनके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित करने हेतु अलग से आरोप पत्र निर्गत किया जा रहा है।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
(ह०) अस्पष्ट, उप–सचिव (निगरानी)।

---

15 जनवरी 2015

सं0 निग/सारा–4 (पथ) आरोप (सी0ए0जी0)–04/12–395 (एस)––श्री रामानन्द मंडल, तत्कालीन अवर प्रमंडल पदाधिकारी, पथ अवर प्रमंडल, ढाका सम्प्रति कार्यपालक अभियंता, शहरी विकास अभिकरण, रोहतास के विरूद्ध पथ अवर प्रमंडल, ढाका के पदस्थापन काल में सी0ए0जी0 से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर आरोप पत्र गठित करते हुए विभागीय संकल्प ज्ञापांक–3782 (एस) अनु0 दिनांक 02.04.12 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी। संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन पत्रांक–189 अनु0 दिनांक 24.01.13 में श्री मंडल के विरूद्ध गठित 8 आरोपों में से आरोप संख्या–5 को अप्रमाणित एवं शेष सभी आरोपों को प्रमाणित होने का मंतव्य दिया गया। संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन के आधार पर विभागीय पत्रांक–2454 (एस) अनु0 दिनांक 21.03.13 द्वारा श्री मंडल से द्वितीय कारण पृच्छा की मांग की गई। श्री मंडल द्वारा अपना द्वितीय कारण–पृच्छा उत्तर पत्रांक–शून्य–2 कैम्प, पटना दिनांक 03.06.13 द्वारा समर्पित किया गया।

2. श्री मंडल द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा की तकनीकी समीक्षा करायी गयी जिसमें आरोप संख्या–4 को अप्रमाणित, आरोप संख्या–1,3,5 तथा 8 को अंशतः प्रमाणित जबकि आरोप संख्या–2,6 तथा 7 को प्रमाणित होने की अनुशंसा की गयी। तकनीकी समिति ने अपनी अनुशंसा में श्री मंडल की कर्त्तव्यहीनता एवं लापरवाही के कारण सरकार को कुल `3,30,209.00 का वित्तीय क्षति पहुँचाने का दोषी पाया है।

3. तदआलोक में श्री रामानन्द मंडल, तत्कालीन अवर प्रमंडल पदाधिकारी, पथ अवर प्रमंडल, ढाका सम्प्रति कार्यपालक अभियंता, शहरी विकास अभिकरण, रोहतास को निम्न दंड संसूचित किया जाता है :–

(क) सरकार को पहुँचाई गई आर्थिक क्षति की राशि `3,30,209.00 की वसूली इनके वेतन से की जाय एवं

(ख) संचयात्मक प्रभाव से दो वार्षिक वेतन वृद्धि पर रोक।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
(ह०) अस्पष्ट, उप–सचिव (निगरानी)।

---

7 अप्रील 2015

सं० निग/सारा–I (ग्रा0)–24/05–3133 (एस)––श्री रविन्द्र कुमार सिन्हा, तत्कालीन सहायक अभियंता, पुपरी एवं नानपुर प्रखंड, सीतामढ़ी सम्प्रति सेवानिवृत कार्यपालक अभियंता द्वारा पुपरी एवं नानपुर प्रखंड, सीतामढ़ी के पदस्थापन काल में विभिन्न योजनाओं में अपने पदीय शक्ति का दुरूपयोग करने, अपनी क्षमता सीमा से बाहर जाकर अधिक राशि का विपत्र पारित करने, नौमिनेशन के आधार पर कार्य कराने, एक ही योजना को कई खंडों में बाँटकर तकनीकी स्वीकृति प्रदान करने एवं योजनाओं में किये गये कार्य से अधिक भुगतान करने जैसी बरती गयी अनियमितताओं के लिए विभागीय अधिसूचना संख्या–5823 (एस) दिनांक 06.06.06 द्वारा इन्हें निलंबित करते हुए विभागीय संकल्प ज्ञापांक–9501 (एस) अनु0 दिनांक 11.08.06 द्वारा इनके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी। उक्त विभागीय कार्यवाही में श्री सिन्हा के लगातार

अनुपस्थिति के कारण इनकी उपस्थिति हेतु प्रेस विज्ञप्ति प्रकाशित की गयी। तदोपरांत श्री सिन्हा द्वारा विभागीय कार्यवाही में अपना बचाव वयान समर्पित किया गया था।

2. संचालन पदाधिकारी के पत्रांक–शून्य दिनांक 25.02.09 द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन में इनके विरूद्ध गठित कुल 8 आरोपों में से आरोप संख्या–1 से 5 तक एवं 8 को प्रमाणित तथा आरोप संख्या–7 को अंशतः प्रमाणित होने का मंतव्य दिया गया। तद्आलोक में प्रमाणित पाये गये आरोपों के संदर्भ में इनसे विभागीय पत्रांक–14291 (एस) अनु0 दिनांक 07.12.09 द्वारा संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवदेन की प्रति संलग्न करते हुए द्वितीय कारण पृच्छा की मांग की गयी। द्वितीय कारण पृच्छा उत्तर के अप्राप्त रहने की स्थिति में प्रेस विज्ञप्ति प्रकाशित की गयी, किन्तु श्री सिन्हा से उत्तर अप्राप्त रहा।

3. इस बीच श्री सिन्हा के दिनांक 30.11.10 को सेवानिवृत हो जाने के फलस्वरूप विभागीय संकल्प ज्ञापांक–11697 (एस) दिनांक 04.12.14 द्वारा संचालित विभागीय कार्यवाही को बिहार पेंशन नियमावली के नियम–43 (बी) के तहत सम्परिवर्तित किया गया।

4. श्री सिन्हा से द्वितीय कारण पृच्छा का उत्तर अप्राप्त रहने की स्थिति में पूरे मामले के समीक्षोपरांत सरकार द्वारा उनके पेंशन से 50 प्रतिशत कटौती का निर्णय लिया गया। तत्पश्चात् विभागीय पत्रांक–12296 (एस) अनु0 दिनांक 18.12.14 द्वारा अनुमोदित दंड प्रस्ताव पर बिहार लोक सेवा आयोग के परामर्श/मंतव्य की मांग की गयी। बिहार लोक सेवा आयोग के पत्रांक–2770 दिनांक 02.03.15 द्वारा उपलब्ध कराये गये परामर्श/मन्तव्य में यद्यपि आरोपों के परिपेक्ष्य में प्रस्तावित दण्ड को अनुपातिक नहीं माना गया तथा विभागीय दण्ड प्रस्ताव से असहमति व्यक्त की गयी तथापि असहमत होने का आधार स्पष्ट नहीं किया गया तथा अनुपातिक दण्ड के संबंध में कोई जानकारी नहीं दी गई है।

5. तद्आलोक में पूरे मामले पर विचारोपरांत सरकार द्वारा लिये गये निर्णय के आलोक में श्री रविन्द्र कुमार सिन्हा, तत्कालीन सहायक अभियंता, पुपरी एवं नानपुर प्रखंड, सीतामढ़ी सम्प्रति सेवानिवृत कार्यपालक अभियंता के पेंशन से 50 प्रतिशत कटौती की जाती है।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
(ह०) अस्पष्ट, उप–सचिव (निगरानी)।

---

8 दिसम्बर 2014

सं0 निग/सारा–6 (था0का0)–104/2010–11802 (एस)—निगरानी अन्वेषण ब्यूरो द्वारा दर्ज निगरानी थाना कांड संख्या–54/10 में श्री शैलेश मिश्र, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, पटना नगर निगम को प्राथमिक अभियुक्त बनाया गया। नगर विकास एवं आवास विभाग के पत्रांक–5433 दिनांक 14.09.10 से प्राप्त निगरानी अन्वेषण ब्यूरो के प्रतिवेदन के आलोक में विभागीय पत्रांक–3056 (एस) दिनांक 16.04.13 द्वारा श्री मिश्र से कारण पृच्छा की मांग की गयी। श्री मिश्र से प्राप्त कारण पृच्छा पर नगर विकास एवं आवास विभाग से प्राप्त मंतव्य के आलोक में श्री शैलेश मिश्र को कार्यपालक अभियंता, पटना नगर निगम के पदस्थापन काल में बरती गयी अनियमितताओं के लिए अधिसूचना संख्या–4392 (एस) दिनांक 04.06.13 द्वारा निलंबित करते हुए विभागीय संकल्प ज्ञापांक–4949 (एस) दिनांक 20.06.13 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित है।

2. श्री शैलेश मिश्र द्वारा जीवन निर्वाह भत्ता में बढ़ोतरी हेतु समर्पित अभ्यावेदन के अवलोकनोपरांत बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली के नियम 10 (1)(i) के तहत निलंबन की अवधि एक वर्ष से अधिक होने पर जीवन निर्वाह भत्ता में बढ़ोतरी किये जाने के प्रावधान के आलोक में श्री शैलेश मिश्र, कार्यपालक अभियंता सम्प्रति निलंबित के जीवन निर्वाह भत्ता में सरकार द्वारा 15 प्रतिशत बढ़ोतरी का निर्णय लिया जाता है।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
(ह०) अस्पष्ट, उप–सचिव (निगरानी)।

---

18 दिसम्बर 2014

सं0 निग/सारा–4 (पथ) आरोप–23/2011–12286 (एस)—मुख्यमंत्री सचिवालय से प्राप्त परिवाद पत्र के आलोक में गोपालगंज जिलान्तर्गत रघुनन्दनपुर से चमारी पट्टी पथ में कराये गये कार्य का कार्यपालक अभियंता, उड़नदस्ता प्रमंडल संख्या–1 द्वारा दिनांक 04.09.08 से 05.09.08 तक स्थल जाँच कर पत्रांक–364 अनु0 दिनांक 10.09.08 के माध्यम से अंतरिम जाँच प्रतिवेदन, पत्रांक–111 अनु0 दिनांक 06.08.09 के माध्यम से गुणवत्ता प्रतिवेदन एवं पत्रांक–182 अनु0 दिनांक 26.10.09 के माध्यम से विहित प्रपत्र में गुणवत्ता प्रतिवेदन विभाग को समर्पित किया गया जिसके समीक्षोपरांत पाई गई त्रुटियोंः–

(i) पथ के कुल 5 (पाँच) स्थानों पर जी0एस0बी0 कार्य की मुटाई 33.50 एम0एम0 से 134.75 एम0एम0 तक पायी गई है। औसतन जी0एस0बी0 कार्य की मुटाई 86.38 एम0एम0 पायी गई है जबकि प्रावधान 225 एम0एम0 का है।

(ii) पथ में कराये गये डब्लू0बी0एम0 ग्रेड–III कार्य की जाँच कुल 20 (बीस) स्थानों पर जाँच पदाधिकारी द्वारा की गई। डब्लू0एम0बी0 ग्रेड–III कार्य की मुटाई 33.92 एम0एम0 से 114.50 एम0एम0 तक पायी गई है। औसतन डब्लू0बी0एम0 ग्रेड–III कार्य की मुटाई 59.90 एम0एम0 पायी गई है जबकि प्रावधान 75 एम0एम0 का है।

(iii) पथ के कुल 21 स्थानों पर कराये गये बी0यू0एस0जी0 कार्य की मुटाई 34.33 एम0एम0 से 90 एम0एम0 तक पायी गई है। औसतन बी0यू0एस0जी0 कार्य की मुटाई 50.57 एम0एम0 पायी गई है जबकि प्रावधान 75 एम0एम0 का है।

(iv) पथ के कि0मी0 1 में कराये गये डब्लू0बी0एम0 ग्रेड–III कार्य में प्रयुक्त एग्रीगेट औसतन 22.02 प्रतिशत ओभर साईज तथा औसतन 36.73 प्रतिशत अन्डर साईज पाया गया है।

(v) पथ के कि0मी0 1 में कराये गये बी0यू0एस0जी0 कार्य में प्रयुक्त एग्रीगेट औसतन 26.23 प्रतिशत ओभर साईज तथा औसतन 5.73 अन्डर साईज पाया गया है। बी0यू0एस0जी0 कार्य में प्रयुक्त अलकतरा की मात्रा 1.66 प्रतिशत पायी गई है जबकि विभागीय रूप से निर्धारित प्रावधान 1.93 प्रतिशत का है।

(vi) पथ के कि0मी0 1 में कराये गये एस0डी0बी0सी0 कार्य में प्रयुक्त अलकतरा की औसत मात्रा 3.59 प्रतिशत पायी गई है जबकि प्रावधान 5 प्रतिशत का है।

(vii) पथ के कि0मी0 2 में कराये गये डब्लू0बी0एम0 ग्रेड–III कार्य में प्रयुक्त एग्रीगेट औसतन 18.27 प्रतिशत ओभर साईज तथा औसतन 7.77 प्रतिशत अन्डर साईज पाया गया है।

(viii) पथ के कि0मी0 2 में कराये गये बी0यू0एस0जी0 कार्य में प्रयुक्त एग्रीगेट औसतन 18.38 प्रतिशत ओभर साईज तथा मात्र एक चलनी पर 3.43 प्रतिशत अन्डर साईज पाया गया है बी0यू0एस0जी0 कार्य में प्रयुक्त अलकतरा की औसत मात्रा 0.86 प्रतिशत पायी गई है जबकि प्रावधान विभागीय रूप से निर्धारित प्रावधान 1.93 प्रतिशत का है।

(ix) पथ के कि0मी0 2 में कराये गये एस0डी0बी0सी0 कार्य में प्रयुक्त अलकतरा की औसत मात्रा 4.04 प्रतिशत पायी गई है, जबकि प्रावधान 5 प्रतिशत का है।

(x) पथ में कराये गये एस0 डी0 बी0 सी0 कार्य की एफ0 डी0 डी0 तीन स्थानों पर क्रमशः 2. 65gm/ cc,2.0gm/cc पायी गई है। औसतन एफ0डी0डी0 2.20gm/cc पायी गई है जबकि प्रावधान 2.30gm/cc का है, के लिए श्री शिवशंकर प्रसाद, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, गोपालगंज सम्प्रति विशेष पदाधिकारी (यातयात), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना से विभागीय पत्रांक–5953 (एस) दिनांक 08.06.09 द्वारा स्पष्टीकरण की मांग की गयी। श्री प्रसाद द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण उत्तर पत्रांक–1 (कैम्प) अनु0 दिनांक 27.04.10 के विभागीय समीक्षोपरांत स्वीकार योग्य नहीं पाते हुए श्री प्रसाद के विरूद्ध विभागीय संकल्प ज्ञापांक–6693 (एस) अनु0 दिनांक 10.06.11 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी। संचालन पदाधिकारी के पत्रांक–3481 (अनु0) दिनांक 03.12.12 द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन में संचालन पदाधिकारी द्वारा इनके विरूद्ध गठित 10 आरोपों में से आरोप संख्या–1, 2 एवं 3 को अंशतः प्रमाणित एवं शेष को अप्रमाणित प्रतिवेदित किया गया। संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन की छाया प्रति संलग्न करते हुए विभागीय पत्रांक–1083 (एस) अनु0 दिनांक 12.02.13 द्वारा श्री प्रसाद से द्वितीय कारण पृच्छा की गयी। श्री प्रसाद ने अपने पत्रांक–शून्य दिनांक 13.03.13 द्वारा कारण पृच्छा उत्तर विभाग को समर्पित किया। प्राप्त द्वितीय कारण पृच्छा की तकनीकी समीक्षा की गयी जिसमें आलोच्य पथ से संबंधित उक्त कार्य की मुटाई में कमी पायी गयी जिसके लिए श्री प्रसाद को दोषी पाया गया।

2. तदआलोक में सम्यक् विचारोपरांत सरकार के निर्णयानुसार श्री शिवशंकर प्रसाद, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, गोपालगंज सम्प्रति विशेष पदाधिकारी (यातायात), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना के स्पष्टीकरण को स्वीकार योग्य नहीं मानते हुए निम्न दंड संसूचित किया जाता है :–

(i) इन्हें निन्दन की सजा (आरोप वर्ष–2008–09) दी जाती है।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
(ह०) अस्पष्ट, उप–सचिव (निगरानी)।

6 जनवरी 2015

सं0 निग/सारा–4 (पथ) आरोप–41/2014–89––पथ प्रमंडल, पूर्णियाँ अन्तर्गत पूर्णियाँ–श्रीनगर पथ के कि0मी0 6 एवं 11 में कराये गये कार्य की जाँच कार्यपालक अभियंता, उड़नदस्ता प्रमंडल संख्या–2 द्वारा दिनांक 01.05.10 से 03.05.10 तक स्थल जाँच कर अपने पत्रांक–132 अनु0 दिनांक 18.05.10 द्वारा प्रारंभिक जाँच प्रतिवेदन एवं पत्रांक–215 अनु0 दिनांक 23.08.11 द्वारा समर्पित पूरक जाँच प्रतिवेदन में विभागीय समीक्षोपरांत पायी गयी निम्न त्रुटियों/अनियमितताओं यथा–(i) पथ के कि0मी0 6 में कराये गये SDBC कार्य में प्रयुक्त अलकतरा की औसत मात्रा 3.56 प्रतिशत पायी गयी है जबकि प्रावधान न्यूनतम 5 प्रतिशत का है। (ii) पथ के कि0मी0 11 में SDBC कार्य में प्रयुक्त अलकतरा की औसत मात्रा 3.67 प्रतिशत पायी गयी है जबकि प्रावधान न्यूनतम 5 प्रतिशत का है के लिए श्री योगेन्द्र पासवान, तत्कालीन सहायक निदेशक, गुण नियंत्रण, पथ प्रमंडल, पूर्णियाँ सम्प्रति सहायक निदेशक, पथ निर्माण विभाग, कार्य प्रमंडल संख्या–2, मुजफ्फरपुर से विभागीय पत्रांक–2445 (ई) दिनांक 10.04.12 द्वारा स्पष्टीकरण की मांग की गयी।

2. श्री पासवान ने अपने स्पष्टीकरण पत्रांक–71 दिनांक 27.04.12 में मूल रूप में अंकित किया है कि जाँच दल द्वारा कार्य समाप्ति के लगभग 6–7 माह के बाद सैम्पुल एकत्र कर जाँच किया गया, साथ ही Hot mix plant से स्थल पर mix लाने पर दूरी के कारण एवं स्थल पर चपाई के बाद एक लंबे अरसे के बाद लिये गये सैम्पुल से Bitumen content का आकलन सही नहीं है साथ ही पथ में भारी वाहनों का आवागमन अत्यधिक होने तथा समयांतराल के कारण उपयोग किये गये बिटुमेन में अंतर आना स्वाभाविक है।

3. श्री पासवान द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण के विभागीय/तकनीकी समीक्षोपरांत संशोधित मान्यदंड के आधार पर यह पाया गया कि उक्त पथ के कि0मी0 6 एवं 11 में कराये गये SDBC कार्य में प्रयुक्त अलकतरा की औसत मात्रा भी विभाग द्वारा निर्धारित टोलरेन्स से काफी कम पायी गयी।

4. उक्त तकनीकी समीक्षा के आलोक में श्री पासवान के स्पष्टीकरण को स्वीकार योग्य नहीं मानते हुए इन्हें निम्न दंड संसूचित करने का निर्णय लिया जाता है :–

(i) असंचयात्मक प्रभाव से दो वार्षिक वेतन वृद्धि पर रोक।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
सरकार के उप–सचिव (निगरानी),

---

6 अप्रील 2015

सं0 निग/सारा–4 (पथ) आरोप (सी0ए0जी0)–41/12–3082 (एस)––श्री अजय कुमार पाण्डेय, तत्कालीन कनीय अभियंता, पथ प्रमंडल, मोतिहारी सम्प्रति सहायक अभियंता, राष्ट्रीय उच्च पथ अवर प्रमंडल, भागलपुर के विरूद्ध पथ प्रमंडल, मोतिहारी के पदस्थापन काल में अलकतरा प्रकरण में सी0ए0जी0 से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर आरोप पत्र गठित करते हुए विभागीय संकल्प ज्ञापांक–6787 (एस) अनु0 दिनांक 15.06.12 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी। संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन पत्रांक–178 अनु0 दिनांक 01.03.14 में श्री पाण्डेय के विरूद्ध गठित 7 आरोपों में से आरोप संख्या–5 को आंशिक रूप से प्रमाणित तथा शेष सभी आरोपों को अप्रमाणित होने का मंतव्य दिया गया। संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन के आधार पर विभागीय पत्रांक–9460 (एस) अनु0 दिनांक 26.09.14 द्वारा श्री पाण्डेय से द्वितीय कारण पृच्छा की मांग की गई। श्री पाण्डेय ने अपने द्वितीय कारण–पृच्छा उत्तर पत्रांक–शून्य दिनांक 13.10.14 में मूल रूप में अंकित किया है कि आरोप संख्या–5 में किस आरोप के लिए इन्हें आंशिक रूप से दोषी बताया गया है इसका उल्लेख संचालन पदाधिकारी के मंतव्य में अंकित नहीं है। श्री पाण्डेय ने उक्त के आलोक में सभी आरोपों से मुक्त करते हुए मामले को संचिकास्त करने का आग्रह किया है।

2. श्री पाण्डेय से प्राप्त द्वितीय कारण पृच्छा के समीक्षोपरांत यह स्पष्ट हुआ कि संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन में मात्र आरोप संख्या–5 जो 36,435 मूल्य के 8.675 एम0टी0 कम अलकतरा आपूर्ति करने के संबंध में है, में श्री पाण्डेय को आंशिक रूप से दोषी पाते हुए निम्न दंड संसूचित किया गया था :–

(क) इनके वेतन से रु० 36,435 (छत्तीस हजार चार सौ पैतीस रूपये) की वसूली एवं

(ख) संचयात्मक प्रभाव से दो वार्षिक वेतन वृद्धि पर रोक।

3. उक्त दंडादेश के विरूद्ध श्री अजय कुमार पाण्डेय, तत्कालीन कनीय अभियंता, पथ प्रमंडल, मोतिहारी सम्प्रति सहायक अभियंता, राष्ट्रीय उच्च पथ अवर प्रमंडल, भागलपुर द्वारा समर्पित पुनर्विलोकन अर्जी पत्रांक–शून्य दिनांक 28.01.15 में मूल रूप से अंकित किया है कि संचालन पदाधिकारी ने विभागीय कार्यवाही के जाँच प्रतिवेदन में उनके विरूद्ध सभी आरोपों को अप्रमाणित प्रतिवेदित किया। साथ ही, प्रपत्र–'क' में जिन आरोपों को गठित किया गया है उससे संबंधित साक्ष्य उन्हें उपलब्ध नहीं कराया गया। उक्त के आधार पर श्री पाण्डेय द्वारा संसूचित दंड को निरस्त करने का अनुरोध किया गया।

4. श्री पाण्डेय द्वारा समर्पित पुनर्विलोकन अर्जी के समीक्षोपरांत पाया गया कि श्री पाण्डेय के विरूद्ध भंडार लेखा का विधिवत संधारण नहीं करने, अलकतरा की प्राप्ति एवं व्यय का सही प्रतिवेदन समर्पित नहीं करने के लिए प्रपत्र–'क' का गठन एवं विभागीय कार्यवाही का संचालन पूर्णतः बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 में विहित प्रावधानों के अनुसार किया गया। श्री पाण्डेय द्वारा अपने पुनर्विलोकन अर्जी में उन्हीं बातों की पुनरावृति की गयी है जो संचालन पदाधिकारी के समक्ष दिये गये बचाव बयान में किया गया है तथा उनके द्वारा कोई ऐसा तथ्य समर्पित नहीं किया गया जो उन्हें अधिरोपित शास्ति को क्षांत करता हो।

5. तद्आलोक में सम्यक् समीक्षोपरांत श्री पाण्डेय द्वारा समर्पित पुनर्विलोकन अर्जी पत्रांक–शून्य दिनांक 28.01.15 को सरकार के निर्णयानुसार अस्वीकृत किया जाता है।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
(ह०) अस्पष्ट, उप–सचिव (निगरानी)।

———

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट, 13–571+100-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in